प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल

जल जीवन मिशन अंतर्गत

सहभागी नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

WELT HUNGER HILFE
WHH

समर्थन- सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट

प्रकाशन वर्ष : 2025

प्रकाशक : समर्थन – सेन्टर फार डेवलपमेन्ट सपोर्ट, भोपाल

सहयोगी : Welthungerhilfe and German Cooperation Deutsche Zusammenarbeit

मुद्रक : गणेश ग्राफिक्स, भोपाल

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल

जल जीवन मिशन अंतर्गत

सहभागी नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

WELT HUNGER HILFE
WHH

समर्थन- सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट

मैनुअल के बारे में

जल जीवन मिशन के विभिन्न घटकों पर केंद्रित यह मैनुअल ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के पदाधिकारियों और अन्य सामुदायिक हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है। जल जीवन मिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए मैनुअल को विषयवार विभिन्न सत्रों में बांटा गया है। इसके साथ ही अलग-अलग सत्रों से संबंधित पीपीटी एवं संदर्भ सामग्री की लिंक भी दी गई हैं, जो लिंक पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकती है।

अक्सर यह देखने में आता है कि जमीनी स्तर पर, जब पूरे दिन या लगातार दो-चार दिनों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, तो प्रतिभागी समय की कमी और अन्य व्यस्तताओं के कारण पूरे समय या नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाते हैं। प्रतिभागियों की सुविधा और रुचि को बनाए रखने के लिए, एक दिन में एक विषय पर 3-4 घंटे का प्रशिक्षण आयोजित करना अधिक उपयोगी हो सकता है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मैनुअल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि प्रत्येक सत्र अपने आप में एक पूर्ण सत्र हो ताकि मैनुअल का इस्तेमाल अलग-अलग विषयों पर टुकड़ों में प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जा सके। इसके अलावा, इस मैनुअल का इस्तेमाल जल जीवन मिशन में काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सके।

प्रत्येक सत्र के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है, बेहतर होगा कि प्रशिक्षक तय समय सीमा में सत्र पूरा करने का प्रयास करें। प्रशिक्षण सत्रों को आवश्यकतानुसार उप-सत्रों में विभाजित किया गया है तथा सत्रों को सहभागी और रोचक बनाने के लिए वीडियो फिल्म, रोल प्ले, केस स्टडी, प्रश्नोत्तर, समूह अभ्यास गतिविधियों को शामिल किया गया है। मैनुअल की विषय-वस्तु को सरल और सहज बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

मैनुअल में जल जीवन मिशन के विभिन्न आयामों पर भी जोर दिया गया है, जैसे कि मिशन का उद्देश्य, लक्ष्य, ग्राम कार्य योजना निर्माण, ग्राम कार्य योजना का कार्यान्वयन और निगरानी, नलजल योजना के संचालन और रखरखाव में विभिन्न हितधारकों की भूमिका का महत्व, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति के लिए मांग और आपूर्ति के अंतर का आकलन करने के लिए जल बजट का निर्माण, मौजूदा जल स्रोतों का प्रबंधन, विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ अभिसरण, वर्षा जल का संरक्षण और संचयन आदि। यह उम्मीद की जाती है कि यह मैनुअल पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों सहित अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने में, प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों, कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) और अन्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगा।

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रमुख उद्देश्य:

1. समुदाय, ग्राम पंचायतों/ जमीनी स्तर के संगठनों/संस्थाओं/समितियों को जेजेएम के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना जो उनके लिए प्रासंगिक हैं।
2. टिकाऊ और सुरक्षित जल आपूर्ति के लिए जेजेएम में सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर एक दृष्टिकोण बनाना।
3. जेजेएम के तहत ग्राम कार्य योजना बनाने, कार्यान्वयन में सहायता करने और योजना की निगरानी करने के लिए कौशल विकसित करना।
4. सहभागियों में सामुदायिक संगठनों/समितियों और समूहों के सहभागी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों के रूप में कौशल विकसित करना।

प्रशिक्षण की रूपरेखा

सत्र /समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	रिमार्क
		पहला दिन	
सत्र-1 10.00-11.30	परिचय, अपेक्षाएं और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना तथा जमीनी नियम तैयार करना	• जोड़े में परिचय • पिछले दो दशकों में साथियों ने अपने गांव/क्षेत्र में पानी की स्थिति/ उपलब्धता में क्या बदलाव देखे हैं?	इस सत्र में प्रतिभागी की ओर से नदियों, कुंओं, तालाबों, नलकूपों, हैंडपंपों में पानी की उपलब्धता में कमी, जल संकट से बढ़ती परेशानियों और भविष्य की चुनौतियों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।
11.30-12.00		**चाय**	
सत्र-2 12.00-13.00	जल जीवन मिशन कया है? विशेषताएं, अवसर और चुनौतियाँ	• जेजेएम की उपयोगिता पर लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार फिल्म दिखाएं। • वीडियो फिल्म पर प्रतिभागियों से सवाल-जवाब करें। • पीपीटी के माध्यम से जेजेएम पर जानकारी के बाद खुली चर्चा करें।	जेजेएम पर महत्वपूर्ण जानकारी जैसे - लक्ष्य, प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा, कार्यान्वयन एजेन्सी की भूमिका, लागत आदि साझा करने के लिए पीपीटी/चार्ट का उपयोग करें।
13.00-14.00		**भोजन**	
सत्र-3 14.00-15.30	नलजल योजना में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का महत्व	ग्राम वंशीपुर की केस स्टडी पढ़कर सुनायें और सहभागियों को 3 समूहों में बांटें, समूहवार निम्न प्रश्नों के जवाब हेतु समूह अभ्यास करायें। **समूह -1 :** नलजल योजना के हितभागी कौन-कौन हैं और वे कैसे प्रभावित हो रहे हैं?	इस बात पर जोर दें कि अलग-अलग परिवार/व्यक्तियों की जरूरतें अलग होती हैं, सभी की भागीदारी से योजना के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा होती

सत्र/समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	रिमार्क
		समूह-2 : लोगों के जुड़ाव से संबंधित क्या कठिनाईयां देख रहे हैं, अगर जुड़ाव होता तो क्या होता? **समूह-3 :** यदि फिर से नल जल योजना बनानी हो तो उसमें कब-कब सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है?	है और अंशदान एकत्र करने में मदद मिलती है। योजना निर्माण और क्रियान्वयन में स्थानीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
15.30-16.00		**चाय**	
सत्र-4 16.00-17.30	ग्राम कार्य योजना (वीएपी) निर्माण	• अभ्यास - वीएपी को अधिक सहभागी कैसे बनायें – ट्रांजेक्ट वॉक, सामाजिक और संसाधन मानचित्रण और स्थितियों के विश्लेषण का तरीका। • वीएपी में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? • वीएपी निर्माण और योजना क्रियान्वयन की स्थिति के अनुसार क्या और देखने - करने की आवश्यकता है, इस पर समझ बनाएं।	• आदर्श वीएपी निर्माण के चरणों को साझा करें। • निम्न स्थितियों में ग्राम पंचायत और जल समिति की क्या भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करें – o जिन गांवों में पहले से वीएपी स्वीकृत है, वहां वीएपी की पुनरीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें। o जिन गांवों में नलजल योजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है वहां क्या देखने की आवश्यकता है। o जिन गांवों में अभी वीएपी नहीं बना है वहां क्या करने की आवश्यकता है।
गृह कार्य : वीएपी/जेजेएम पर उपलब्ध फिल्म देखने के लिए कहें			
दूसरा दिन			
सत्र-1 09.30-10.00	पिछले दिन के सत्रों की प्रमुख सीखों का दोहराव।	प्रत्येक सहभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहें।	जिन बिन्दुओं पर प्रतिभागियों की समझ न बन पाई हो, उनका दोहराव करें।
सत्र-2 10.00-11.30	नलजल योजना की डिजाइन, ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन, जल वितरण लाइन आदि।	• नलजल योजना के विभिन्न अवयवों व उनके महत्व को साझा करें। • सहभागियों को 4-5 समूह में बांटकर, नल जल योजना के विभिन्न अवयवों के चित्र देकर उन्हें तकनीकी रूप से क्रमवार लगाने के लिए कहें।	पीपीटी/चार्ट के माध्यम से नलजल योजना के विभिन्न अवयवों की तकनीकी जानकारी और डीपीआर में दिये जाने वाले विवरण की जानकारी साझा कर, खुली चर्चा के साथ सत्र को समेकित करें।
11.30-12.00		**चाय**	

सत्र/समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	रिमार्क
सत्र-3 12.00-13.30	जल सुरक्षा योजना कैसे बनायें?	• जल सुरक्षा का मतलब बताएं? यह क्यों जरूरी है? ''जल सुरक्षा'' मोबाइल एप पर अभ्यास के माध्यम से मनुष्यों, पशुओं और खेती के लिए पानी की आवश्यकता और गांव में वर्षा जल और मौजूदा जल भंडारण संरचनाओं से मिलने वाले पानी की गणना करना बतायें। • साथ ही आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर का विश्लेषण और अंतर को समाप्त करने के लिए गतिविधियों का नियोजन करायें।	यह सत्र ''स्वयं करके देखें और सीखें'' के सिद्धांत पर है। इसमें प्रतिभागी ''जल सुरक्षा'' मोबाइल एप पर अभ्यास कर जल सुरक्षा बजट तैयार करना सीखेंगे।
13.30-14.30	**भोजन**		
सत्र-4 14.30-17.30	योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका।	• जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं का चपाती चित्रण करें। ग्राम, ग्राम पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर। • सहभागियों को 5-6 समूहों में बांटें और एक-एक संस्था का नाम देकर उनकी भूमिकाओं की पहचान कर प्रस्तुत करने के लिए कहें। • समूह अभ्यास के प्रस्तुतिकरण के बाद, संबंधित संस्था की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें।	समूह-1 : ग्राम पंचायत की भूमिका समूह-2 : ग्राम सभा/समुदाय की भूमिका समूह-3 : जल समिति की भूमिका समूह-4 : एस.एच.जी./ग्राम संगठन की भूमिका समूह-5 : क्रियान्वयन सहायता एजेंसी की भूमिका समूह-6 : पीएचईडी/ठेकेदार की भूमिका कोई अन्य महत्वपूर्ण संगठन/संस्था जिसे चिन्हित किया जाये।
	तीसरा दिन		
सत्र-1 09.30-10.30	पिछले दिन के सत्रों की प्रमुख सीखों का दोहराव।	प्रत्येक सहभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहें।	जिन बिन्दुओं पर प्रतिभागियों की समझ न बन पाई हो, उनका दोहराव करें।
सत्र-2 10.30-13.00	नल जल योजना की निगरानी।	• सहभागियों से पानी की विभिन्न अशुद्धियों के बारे में पूछें और उन्हें सूचीबद्ध करें। इन अशुद्धियों के कारण पूछें। • पानी में मौजूद विभिन्न अशुद्धियों के उपचार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। जल परीक्षण और उपचार के मौजूदा	**समूह चर्चा हेतु विषय-** **समूह-1 :** ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाइपलाइन, सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक तक क्या निगरानी करें? **समूह-2 :** सम्प वेल/ओवरहेड टैंक से मोहल्लों में बिछायी गई पाइपलाइन/ वाल्व आदि की क्या निगरानी करें?

सत्र/समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	रिमार्क
		तंत्र, नमूनों से लेकर परीक्षण और परिणामों को साझा करने तक की प्रक्रिया के बारे में बतायें। **(चाय ब्रेक)** • सहभागियों को 4 समूहों में बांटें तथा चारों समूहों को अलग-अलग विषयों पर निगरानी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहें। समूह अभ्यास का प्रस्तुतिकरण कराकर, पीपीटी/चार्ट के माध्यम से निगरानी के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी देकर सत्र समेकित करें।	**समूह-3 :** घरेलू नल कनेक्शन, अंतिम छोर तक दबाव के साथ जल आपूर्ति और घरों में जल भण्डारण और उपयोग में क्या निगरानी करें? **समूह-4 :** जल वितरण व्यवस्था और मासिक जल कर की व्यवस्था में क्या निगरानी करें?
13.00-14.00		**भोजन**	
सत्र-3 14.00-16.00	सहभागी तरीके से नलजल योजना का संचालन एवं रखरखाव।	रखरखाव और संचालन में क्या-क्या बातें शामिल हैं, बताएं। नीचे दिये गए एजेन्डा के बिंदुओं पर ग्राम सभा की बैठक का रोल प्ले आयोजित करायें– 1. मासिक जल कर का निर्धारण और एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपना। 2. मोहल्लावार जल आपूर्ति का समय और अवधि निर्धारित करना। 3. संचालन एवं निगरानी के नियम बनाना और जिम्मेदारी बांटना।	रोल प्ले हेतु सहभागियों को निम्नानुसार भूमिकाएँ प्रदान करें - 1. सरपंच 2. सचिव 3. रोजगार सहायक 4. पंच 5. जल समिति सदस्य 6. पीएचईडी इंजीनियर 7. ग्राम सेवक 8. स्व सहायता समूह सदस्य 9. ग्राम सभा सदस्य - युवा, महिलाएँ और पुरुष
सत्र-4 16.00-18.00	सहभागी प्रशिक्ष, वयस्कों के सीखने के सिद्धांत व प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना।	• सहभागी प्रशिक्षण क्या है? वयस्कों के सीखने के सिद्धांत। प्रमुख सहभागी विधियाँ। • प्रशिक्षण की रूपरेखा और सीखने के चक्र पर सहभागी तरीके से जानकारी प्रदान करें।	पिछले 3 दिनों के प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करें और सहभागियों को अपने पूर्व अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करें।

सत्र/समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	रिमार्क
	गृहकार्य : स्व-शिक्षण हेतु ट्रेनिंग की रूपरेखा तैयार कर सत्र संचालन के अभ्यास के लिए सहभागियों को 4 समूहों में बांटें।	सहजकर्ता सहभागियों को समूह में 45 मिनट की ट्रेनिंग डिजाइन तैयार करने और सत्र संचालन हेतु मार्गदर्शन करें। फीडबैक के लिए 15 मिनट अतिरिक्त रखें। प्रत्येक समूह के प्रशिक्षकों से पीपीटी/चार्ट तैयार करने को कहें। उन्हें कुछ छोटी-छोटी सहभागी विधियों को उपयोग करने के लिए भी कह सकते हैं।	**समूह 1:** वीएपी निर्माण पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना। **समूह 2:** ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/ जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना। **समूह 3:** जल सुरक्षा योजना पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। **समूह 4:** नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव पर पंप ऑपरेटरों/स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना।
	चौथा दिन		
सत्र-1 09.30-10.00	पिछले दिन के सत्रों की प्रमुख सीखों का दोहराव।	प्रत्येक सहभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहें।	जिन बिन्दुओं पर प्रतिभागियों की समझ न बन पाई हो, उनका दोहराव करें।
सत्र-2 **10.00-12.00**	प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने का अभ्यास।	पिछले दिन बनाए गए समूहों में से समूह 1 और समूह 2 के सदस्य उनको दिए गए विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे।	प्रशिक्षण सत्रों पर अन्य समूहों के सदस्यों का फीडबैक/सुझाव अवश्य लें। क्या अच्छा रहा और क्या सुधार की आवश्यकता है?
सत्र-3 **12.00-14.00**	प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने का अभ्यास।	पिछले दिन बनाए गए समूहों में से समूह 3 और समूह 4 के सदस्य उनको दिए गए विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे।	प्रशिक्षण सत्रों पर अन्य समूहों के सदस्यों का फीडबैक/सुझाव अवश्य लें। क्या अच्छा रहा और क्या सुधार की आवश्यकता है?
14.00-14.45		**भोजन**	
सत्र-4 14.45-15.45	प्रशिक्षक की भूमिकाएँ, प्रशिक्षण कौशल और प्रशिक्षण सत्रों को सहज बनाने के प्रमुख सिद्धांत।	सहभागी तरीके से जानकारी प्रदान करना।	
15.45-16.00		**चाय**	
सत्र-5 16.00-16.45	प्रशिक्षण की सीखों को परियोजना क्षेत्र के गांवों में लागू करने और साझा करने की योजना बनाना	संस्था/स्वैच्छिक संगठन वार टीम में योजना तैयार कराना	योजना बनाने के लिए 15-20 मिनिट और प्रस्तुतिकरण के लिए 25-30 मिनिट, फीडबैक और समेकन।
16.45-17.30		**प्रशिक्षण का मूल्यांकन, आभार और समापन**	

01
पहला दिन

02
दूसरा दिन

03
तीसरा दिन

04
चौथा दिन

पहला दिन सत्र 1

परिचय, अपेक्षाएँ, और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

सत्र के उद्देश्य

- सहभागियों को एक-दूसरे से परिचित कराना।
- सहभागियों के क्षेत्रों में पिछले दो दशकों में पानी की उपलब्धता में आए बदलावों और चुनौतियों पर चर्चा के माध्यम से प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर और मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सभी सहभागियों का पंजीयन सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि सभी सहभागियों के बैठक व्यवस्था सुविधाजनक हो।
- विशेष रूप से महिला सहभागियों से पूछें कि उन्हें बैठक व्यवस्था में कोई असुविधा तो नहीं है।
- सभी सहभागियों का स्वागत करें और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त करें।
- यदि संभव हो तो, प्रशिक्षण की शुरुआत दीप जलाकर / प्रार्थना गाकर / सामाजिक परिवर्तन आधारित गीत गाकर करें।

परिचय की प्रक्रिया

- सभी सहभागियों को परिचय के लिए कोई एक ऐसा साथी खोजने को कहें जिसे वे पहले से नहीं जानते हों।
- सहभागियों को अपने-अपने साथियों के साथ बैठने और 15 मिनिट में निम्न बिंदुओं पर एक-दूसरे को जानने के लिए कहें-

1. सहभागी का नाम, पता, पंचायत और किसी समिति/समूह के पदाधिकारी हैं तो उसका नाम और पदनाम
2. पिछले दो दशक यानी 20 वर्षों में उनके गांव/क्षेत्र में पानी की स्थिति में क्या बदलाव आया है? किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
3. कोई एक ऐसी बात जो प्रशिक्षण से सीखना/जानना चाहते हैं।

- जब सभी सहभागी उपरोक्त बिंदुओं पर एक-दूसरे के बारे में जान लें, तो उन्हें जोड़ी में आमंत्रित कर एक-दूसरे का परिचय देने के लिए कहें। साथ ही, उनसे एक ऐसी बात बताने के लिए कहें जो वे प्रशिक्षण से सीखना चाहते हैं। प्रत्येक जोड़ी का परिचय होने के बाद ताली जरूर बजवायें।
- प्रशिक्षक, सहभागियों द्वारा गांव/क्षेत्रवार पानी की स्थिति में बदलाव और चुनौतियों के बारे में जो बताया जाए उसे एक चार्ट पेपर पर लिखें, ताकि इन पर चर्चा की जा सके। साथ ही, सहभागियों द्वारा प्रशिक्षण से अपेक्षा के रूप में बताये गए विषयों को भी एक अन्य चार्ट पर लिखें।
- परिचय प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रशिक्षक सहभागियों को प्रशिक्षण की विषय-वस्तु के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें और देखें कि सहभागियों ने जिन विषयों को सीखने की इच्छा व्यक्त की है, वे विषय-वस्तु में शामिल हैं या नहीं। यदि प्रशिक्षण में कोई महत्वपूर्ण विषय छूट गया है, तो उसे शामिल करें और कोई ऐसे विषय जो प्रशिक्षण के उद्देश्य से अलग हों तो इन विषयों के बारे में सहभागियों को स्पष्ट करायें।

सत्र समेकन

पानी की स्थिति में सहभागियों द्वारा बताए गए बदलावों पर और अधिक समझ बनाने के लिए, निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें :-

- ☞ पानी की स्थिति में बदलाव या कमी के पीछे क्या कारण हैं?
- ☞ जल संकट का दैनिक गतिविधियों/आजीविका पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
- ☞ क्या इस समस्या से बाहर निकलना संभव है?
- ☞ प्रतिभागियों को अपने गांव/क्षेत्र की सच्ची घटनाएं साझा करने के लिए प्रेरित करें।

प्रशिक्षण के नियम बनाना

- प्रशिक्षण में अनुशासन बनाये रखने और सत्रों के व्यवस्थित संचालन के लिए सहभागियों की भागीदारी और सहमति से नियम बनायें। जैसे - मोबाइल को बंद या म्यूट रखना, समय का ध्यान रखना, प्रशिक्षण कक्ष की साफ-सफाई रखना, एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा बात करना आदि।
- बनाये गये नियमों को एक चार्ट पेपर पर लिखकर ऐसी जगह लगायें जहां सभी लोग आसानी से देख सकें, पढ़ सकें।

पहला दिन
सत्र 2
जल जीवन मिशन - विशेषताएं, अवसर और चुनौतियां

समयावधि : 1 घन्टा

सत्र के उद्देश्य

- इस बात पर समझ बनाना कि जल जीवन मिशन, जल संकट संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुनहरा अवसर है।
- जल जीवन मिशन की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन, सत्र से संबंधित पीपीटी एवं जल जीवन मिशन की उपयोगिता पर आधारित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वीडियो की लिंक।

सत्र संचालन प्रक्रिया

- पिछले सत्र में हमने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया। यह सत्र आधे-आधे घंटे के दो उप-सत्रों में विभाजित है, जिसमें हम निम्न विषयों के बारे में जानेंगे :

उप-सत्र - 1 : पानी संबंधी चुनौतियां और अवसर

उप-सत्र - 2 : जल जीवन मिशन की प्रमुख विशेषताएं

उप सत्र -1: पानी संबंधी चुनौतियां और अवसर

उप-सत्र संचालन की प्रक्रिया

आइये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल द्वारा तैयार इसी विषय पर आधारित एक वीडियो (सामुदायिक सहभागिता से जल प्रबंधन एवं इसके लाभ) देखते हैं। वीडियो के बाद आपसे इससे जुड़े कुछ सवाल पूछे जायेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि इसमें क्या दिखाया गया है। वीडियो के लिए लिंक https://www.youtube.com/embed/8MGwzQuBhRc पर क्लिक करें या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन करें।

वीडियो समाप्त होने पर सहभागियों से निम्नलिखित सवाल पूछें :

- गांवों में पानी की किस प्रकार की समस्याएं थीं और सबसे अधिक किसे और कैसे प्रभावित कर रही थी?
- नल जल योजना ने ग्रामीणों का जीवन कैसे बदला?
- जल स्रोतों को बचाने पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में किस तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं?

प्रशिक्षक, सहभागियों द्वारा दिए गए तीनों सवालों के जवाब अलग-अलग चार्ट पेपर पर नोट करें। आगे बॉक्सों में उपरोक्त तीनों सवालों के संभावित जवाबों की सूची दी गई है, यदि कोई महत्वपूर्ण जवाब सहभागियों से छूट गया हो तो उसे साझा करें।

पहला सवाल – गांवों में पानी की किस प्रकार की समस्याएं थीं और सबसे अधिक किसे और कैसे प्रभावित कर रही थी?

संभावित जवाब

- वीडियो में दिखाये गये तीनों गांव में पानी की कमी के कारण अनेक समस्याएं थीं।
- सबसे अधिक महिलाओं, बच्चों और मजदूर वर्ग को समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
- महिलाओं के घरेलू तथा अन्य काम प्रभावित होते थे।
- महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता था।
- पानी खरीदना पड़ता था।
- जिन बड़े लोगों के यहां से पानी भरते थे, उनके यहां कम पैसे में मजदूरी करनी पड़ती थी।
- लड़कियां जल संकट के कारण नियमित स्कूल नहीं जा पाती थीं या उनकी पढ़ाई छूट गई।
- दूर से पानी लाने के दौरान दुर्घटना का भय बना रहता था।

दूसरा सवाल – नल जल योजना ने ग्रामीणों का जीवन कैसे बदला?

संभावित जवाब

- सभी घरों में नल से शुद्ध और पर्याप्त पानी मिलने लगा।
- महिलाओं को घर में ही शुद्ध पानी मिलने लगा, जिससे उनका समय बचने लगा।
- महिलायें बचे हुए समय का उपयोग बच्चों की देखभाल तथा घर के अन्य कामों में करने लगी।
- मजदूर वर्ग को पानी के बदले किसी के यहां कम पैसे में मजदूरी करने से मुक्ति मिल गई।
- बच्चे भी नियमित स्कूल जाने लगे।
- दूर से पानी लाते समय जो दुर्घटनाओं का भय रहता था, उससे भी छुटकारा मिल गया।
- बच्चों को खेलने के लिए भी पर्याप्त समय मिलने लगा।
- पानी की समस्या से छुटकारा पाकर सभी लोग बहुत खुश थे।

तीसरा सवाल - जल स्रोतों को बचाने पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में किस तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं?

संभावित जवाब

- पानी ना सिर्फ सभी जीव-जन्तुओं के धरती पर जिन्दा रहने के लिए जरूरी है, बल्कि रोजगार, आजीविका, विभिन्न प्रकार के विकास किसी न किसी रूप में पानी से जुड़े हैं।
- उपलब्ध पानी का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग, जल संरक्षण का पहला कदम है।
- अगर यही स्थिति रही तो भविष्य पानी खरीदकर पीना पड़ेगा। लेकिन वह भी कहां से मिलेगा, क्योंकि दुनियां में कोई ऐसी फैक्ट्री या कारखाना नहीं, जिसमें पानी बनता हो।
- जल स्रोतों को बचाना केवल सरकार की नहीं हम सबकी भी जिम्मेदारी है।

सत्र समेकन

बतायें कि उप सत्र में हमने जाना कि किस तरह लोग पानी की समस्या से जूझते हैं और इसका असर रोजमर्रा के काम के साथ-साथ परिवार, समाज और गांव के विकास पर भी पड़ता है।

- लड़कियां स्कूल नहीं जा पातीं, पढ़ाई छूट जाती है।
- घर के सभी सदस्य पानी की व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं, जिससे अन्य काम-धंधे व रोजगार प्रभावित होते हैं।
- गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को पानी लाने में सबसे अधिक परेशानी होती है।
- खाना समय पर नहीं बन पाता, जिससे काम-धंधे प्रभावित होते हैं।

प्रशिक्षक बतायें कि यदि हम चाहते हैं कि सभी को नियमित पानी मिलता रहे तो इसके लिए उपलब्ध पानी का हमें जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करना होगा और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना होगा। दैनिक हमारे जीवन का ऐसा अनमोल घटक है, जिसके बिना इस धरती पर जिन्दा रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी की समस्या हमारी दिनचर्या, रोजगार, काम-धंधा, बच्चों की परवरिश, समाज और गांव का विकास सभी को प्रभावित करती है। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं से संभव नहीं है, इसके लिए हम सबको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। हर एक गांव के लोगों संगठित होकर प्रयास करना होंगे।

उप सत्र -2 : जल जीवन मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

उप-सत्र संचालन की प्रक्रिया

प्रशिक्षक सहभागियों से सवाल करें- जल जीवन मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सहभागियों के द्वारा दिए गये जवाबों को चार्ट पेपर पर लिखें और सही उत्तरों को दोहराएं।

- सत्र से संबंधित पीपीटी (पहला दिन, उप सत्र -2, जल जीवन मिशन के बारे में) के लिए नीचे दी गई लिंक *https://docs.google.com/presentation/d/1KkqZzm1GMGpmtijNg2zzBOGhPD_oS_Bp/edit#slide=id.p1* पर क्लिक करें या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन करें।

सत्र समेकन

जल जीवन मिशन के बारे में दी गई जानकारियों का स्मरण कराने के लिए, प्रतिभागियों से जल जीवन मिशन की मुख्य बातें एक-एक करके साझा करने के लिए कहें। एक सहभागी को केवल एक बात कहने का मौका दें ताकि अधिक से अधिक सहभागियों को अवसर मिल सके। यदि किसी सहभागी द्वारा कही गई बात पूरी या स्पष्ट न हो, तो अन्य सहभागियों से उसे जोड़ने के लिए कहें और यदि अन्य सहभागी भी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो प्रशिक्षक स्वयं जानकारी का दोहराव करें।

इस सत्र से संबंधित संदर्भ सामग्री के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर, पेज नंबर 1 देखें।

https://drive.google.com/file/d/1ZkmhuTYT0K6egP0eX3qe7z2tOnsa4o7E/view

पहला दिन
सत्र 3

नलजल योजना में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का महत्व

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

सत्र का उद्देश्य

- नलजल योजना से पानी की सतत उपलब्धता बनाये रखने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर समझ बनाना।

आवश्यक सामग्री : केस स्टडी – ग्राम वंशीपुर में पानी की स्थिति **(अनुलग्नक-1)**

सत्र संचालन प्रक्रिया

- इस सत्र में वंशीपुर ग्राम की केस स्टडी के माध्यम से इस बात पर समझ बनायी जायेगी कि समुदाय का जुड़ाव ना होने की वजह से कैसे गांव की नलजल योजना ठीक से नहीं चल पायी एवं पानी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई।
- सहभागियों को 3 समूह में बांटें और प्रत्येक समूह को केस स्टडी की कॉपी प्रदान करें। समूह सदस्यों को केस स्टडी को पढ़कर, आपस में चर्चा कर निम्न प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए कहें –

समूह-1 : गांव में नलजल योजना के हितभागी कौन-कौन हैं और वे कैसे प्रभावित हो रहे हैं?

समूह-2 : लोगों के जुड़ाव से संबंधित क्या कठिनाईयां देख रहे हैं, अगर जुड़ाव होता तो क्या होता?

समूह-3 : यदि फिर से नई नलजल योजना बनानी हो तो उसमें कब-कब सामुदायिक भागीदारी जरूरी है?

चर्चा के बाद प्रत्येक समूह को दिए गए प्रश्नों पर बारी-बारी से अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए आमंत्रित करें।

सत्र समेकन

समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरांत चर्चा को निम्न चार बिंदुओं पर केन्द्रित कर नलजल योजना के हितधारकों की पहचान और विश्लेषण करायें -

परिचय की प्रक्रिया

- ऐसे हितधारक जिनका महत्व और प्रभाव दोनों अधिक है, कौन हैं?
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व अधिक है लेकिन उनका प्रभाव कम है, कौन हैं?
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व कम है लेकिन उनका प्रभाव अधिक है, कौन हैं?
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व और प्रभाव दोनों कम है, कौन हैं?

सहभागियों को बतायें कि नलजल योजना में गरीब, वंचित, आदिवासी और महिलायें सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं लेकिन इनका प्रभाव कम हो सकता है। इसके लिए इनकी क्षमतावृद्धि के साथ-साथ संगठित कर ग्राम सभाओं में उनकी आवाज बुलन्द करनी होगी।

विभिन्न हितधारकों के महत्व और प्रभाव के अनुसार सुझावित मैट्रिक्स

		प्रभावी	
		अधिक	कम
महत्वपूर्ण	अधिक	गांव पटैल, सामाजिक पंचायतों के मुखिया, सरपंच, पीएचई विभाग, जल संसाधन विभाग, क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी, जल संसाधन विभाग, जनपद सी.ई.ओ.	वंचित, दलित, आदिवासी, मुख्य बस्ती से दूर रहने वाले परिवार, महिलायें, बच्चे
	कम	स्थानीय सांसद और विधायक, ठेकेदार, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी, स्कूल के शिक्षक, स्थानीय पत्रकार, स्वैच्छिक संगठन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, कृषि विभाग, स्व सहायता समूह	स्थानीय दुकानदार, राशन दुकान संचालक, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे अन्य सरकारी विभाग जिनका क्रियान्वयन में सीधा हस्तक्षेप नहीं है

इस मैट्रिक्स के माध्यम से प्रतिभागी यह समझ पायेंगे कि कौन से हितधारकों का महत्व अधिक है लेकिन उनका प्रभाव कम है। इससे उन्हें गांव में ऐसे हितधारकों की पहचान कर उनको प्रभावशील बनाने में मदद मिलेगी। उपरोक्त मैट्रिक्स में यह बात स्पष्ट है कि वंचित, दलित, आदिवासी, मुख्य बस्ती से दूर रहने वाले परिवार, महिलायें और बच्चे ऐसे हितधारक हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन इनका प्रभाव कम है। अत: इनकी क्षमतावृद्धि करने के साथ-साथ इन्हें जागरूक और संगठित कर ग्राम सभाओं में इनकी आवाज बुलन्द करने की आवश्यकता है।

: इस सत्र से संबंधित संदर्भ सामग्री के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर पेज नंबर 4 देखें।

https://drive.google.com/file/d/1ZkmhuTYT0K6egP0eX3qe7z2tOnsa4o7E/view

पहला दिन सत्र 4 — ग्राम कार्य योजना (वीएपी) निर्माण

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

सत्र के उद्देश्य

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी हितभागियों की भागीदारी से नलजल योजना की एक अच्छी कार्य योजना बनाने की तैयारी पर समझ बनाना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन, केस स्टडी, सत्र से संबंधित पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सत्र के आरम्भ में वीएपी के प्रमुख घटकों और निर्माण प्रक्रिया के चरणों पर नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर पीपीटी के माध्यम से जानकारी प्रदान करें।

  https://docs.google.com/presentation/d/1ruze4z8csiVnMviBECalBWPzE_yLgSKs/edit#slide=id.p1

(पहला दिन, सत्र—4, वीएपी निर्माण) की लिंक पर क्लिक कर वीएपी के सभी घटकों और निर्माण के चरणों से परिचित करायें।

- पिछले सत्र में उपयोग की गई केस स्टडी में वंशीपुर गांव के किन मोहल्लों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा था और किन मोहल्लों में कम दबाव के कारण पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा था, इनके कारणों पर खुली चर्चा कर सहभागियों का ध्यान आकर्षित करायें।
- ग्राम विकास योजना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक आवश्यक दस्तावेज भी है, जिसके आधार पर डीपीआर (Details Project Report) बनायी जाती है और योजना की लागत निर्धारित की जाती है। अगर यह ठीक प्रकार से नहीं बनायी जाती है तो संभावना है कि कुछ मोहल्ले छूट जायें, कम पानी देने वाले बोर में ही मोटर डाल दी जाये या फिर छोटी टंकी का निर्माण हो जाये आदि। ग्राम कार्य योजना एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसे साधारणत: आई.एस.ए. – कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी (Implementation Support Agency), स्वैच्छिक संगठन, विभाग, ग्राम पंचायत और समुदाय की सहभागिता से बनाया जाता है। ग्राम कार्य योजना को अंतिम रूप देने के बाद जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

कार्य योजना निर्माण के प्रमुख घटक

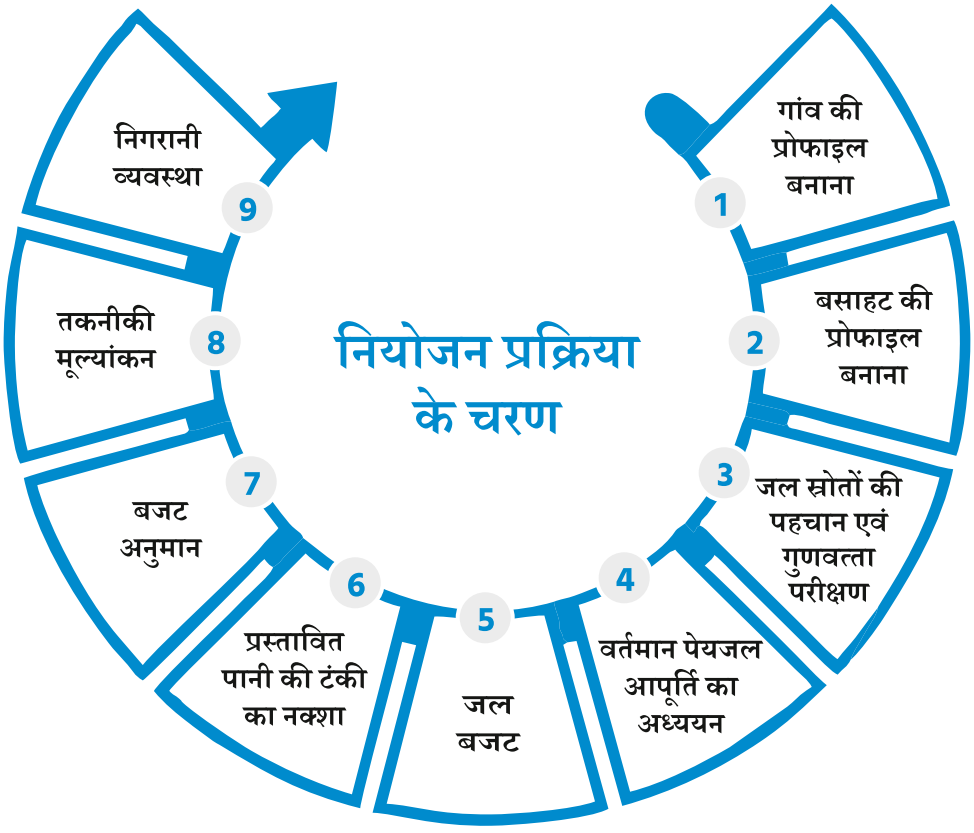

- संस्था कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि वह अपने कार्य क्षेत्र के गांवों की ग्राम कार्य योजना को प्राप्त कर गांव में लोगों के साथ साझा करें। यदि ग्राम कार्य योजना नहीं बनायी गई है तो लोगों के साथ मिलकर बनवायें और ग्रामसभा में पारित करवा कर जब विभाग का काम आरंभ हो तो विभाग एवं ठेकेदार से साझा करें। अगर कार्ययोजना की पहले से तैयारी होगी तो नलजल योजना का क्रियान्वयन बेहतर हो सकेगा।

आगे के सत्रों में वीएपी के प्रमुख घटक जिसमें जल स्रोत की पहचान से लेकर नल कनेक्शन, जल सुरक्षा योजना, पानी की गुणवत्ता, गंदे पानी का प्रबंधन इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया जायेगा। यहां हम वीएपी निर्माण प्रक्रिया की स्थिति अनुसार समुदाय को क्या करने की आवश्यकता है, इस पर बात करेंगे।

वीएपी निर्माण की प्रक्रिया को स्थिति अनुसार तीन भागों में देखा जा सकता है :-

पहला	दूसरा	तीसरा
जहां वीएपी बना है और नलजल योजना का काम भी पूरा हो गया है।	**जहां वीएपी बना है और नलजल योजना का काम चल रहा है।**	**जहां अभी वीएपी नहीं बना है।**
यदि कोई मोहल्ला/घर छूट गये हैं या कुछ जगह पर पानी कम प्रेशर से आता है या कम समय के लिए आता है, कुछ जगह पर पाइपलाइन में लीकेज है तो वहां छूटे मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने, सभी घरों में प्रेशर के साथ पानी हेतु वाल्व लगाने या पाइपलाइन की मरम्मत आदि के लिए अनुपूरक वीएपी बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत को सौंपें।	विभाग/ठेकेदार से नक्शा लेकर उसको समुदाय के साथ साझा करें। यदि कोई मोहल्ला या घर कार्ययोजना में छूट रहा हो तो उसके लिए पूरक वीएपी बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत को दें। पाइपलाइन सही से उचित गहराई में बिछाई जाये, जरूरत अनुसार वाल्व लगाये जायें, घर के अंदर नल कनेक्शन लगें इसकी निगरानी करें।	सभी हितधारकों के साथ दो अच्छे जल स्रोतों की पहचान व चयन, पानी की टंकी के लिए उचित स्थान का चयन, कुल नल कनेक्शन की संख्या, वाल्व कहां-कहां लगना है, पाइपलाइन कहां से बिछायी जायेगी, आदि विषयों पर सामूहिक निर्णय के साथ अच्छा और विस्तृत वीएपी बनाया जा सकता है।

नोट : प्रशिक्षक सहभागियों को 3 समूहों में बांटकर वीएपी निर्माण की उपरोक्त तीनों स्थितियों में एक-एक स्थिति समूह को देकर समुदाय को क्या करने की आवश्यकता है इस पर समूह चर्चा करा कर प्रस्तुतिकरण करा सकते हैं।

वीएपी में उल्लेखित जल स्रोत एवं जल वितरण पाइपलाइन का नक्शा

चूंकि वीएपी का एक उददेश्य जल स्रोत से हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने का खाका बनाना भी है, इसलिए इस सत्र में इस बिन्दु पर विस्तार से उल्लेख किया जा रहा है।

- यदि पंचायत,पीएचई विभाग/ठेकदार द्वारा पहले से इस तरह का कोई नक्शा बनाया गया है, तो उसे प्राप्त कर लोगों के साथ साझा कर उस पर सामूहिक चर्चा की जा सकती है।
- अगर कोई बसाहट इस योजना में छूट गयी है तो उसका एक पूरक प्लान बनाकर विभाग को दें,ताकि उस बसाहट को योजना में शामिल किया जा सके।
- यदि इस प्रकार का कोई नक्शा एवं डीपीआर उपलबध नहीं हो पाता है तो समुदाय के साथ मिलकर मोहल्ले में ट्राजेक्ट वाक, सामाजिक मानचित्र बनाकर एक मोटा खाका तैयार करें जिसमें मोहल्लेवार घरों एवं पशुओं की जनसंख्या के आधार पर नल कनेक्शन की संख्या, पाइपलाइन बिछाने के रास्ते एवं वाल्व कहां-कहां पर लगना चाहिए इसका एक खाका तैयार कर सकते हैं। यह एक विस्तृत वीएपी नहीं है, लेकिन नलजल योजना के प्रबंधन में बहुत उपयोगी होगा।

वीएपी की समीक्षा करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें -

प्रमुख घटक	ध्यान देने योग्य बातें
पानी का स्रोत	कम से कम 2 या अधिक ऐसे स्रोत जिनमें 12 माह पानी रहता है।
पाइपलाइन का बिछाव	सभी मोहल्लों में हर घर में पर्याप्त पानी की उपलब्धता।
	जो मोहल्ले ऊंचाई पर हैं और अधिक प्रेशर होने पर ही वहां पानी पहुंचेगा तो उसकी व्यवस्था कैसे बनायी गयी है।
	पाइपलाइन सुरक्षित रास्तों पर है जहां टूट-फूट कम होगी, गहराई पर है एवं नालियों इत्यादि से दूर है।
पशुओं इत्यादि की आवश्यकता का आंकलन	जिन मोहल्लों या घरों में पालतू पशु अधिक हैं या पानी संबंधित व्यवसाय हैं वहां इस बात को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन बिछाना।
टंकी का निर्माण	अगर घनी बसाहट या बडा गांव है तो टंकी का निर्माण होना चाहिए, लगभग कितनी क्षमता की टंकी की जरूरत पड़ेगी और कौन सा स्थान टंकी के लिए सही होगा।
पानी की गुणवत्ता	अगर किसी मोहल्ले के जल स्रोत में फ्लोराइड या अन्य रासायनिक तत्व तय सीमा से अधिक हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है उसका वर्णन।

नोट : नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर पन्ना जिले के ग्राम दिया की ग्राम कार्य योजना (वीएपी) का अवलोकन किया जा सकता है।

https://drive.google.com/file/d/1vx8ngPeCgbN9yVOeihiiKIdhdxGhZqnG/view

01
पहला दिन

02
दूसरा दिन

03
तीसरा दिन

04
चौथा दिन

दूसरा दिन
सत्र 2

नलजल योजना की डिजाइन – ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन, जल वितरण लाइन आदि

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

सत्र का उद्देश्य

- नलजल योजना के निर्माण के दौरान बनायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों पर समझ बनाना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सहभागियों को संख्या अनुसार 4-5 समूह में बांटें।
- प्रत्येक समूह को जल स्रोत से लेकर घरेलू कनेक्शन तक बनायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों के फोटो का एक-एक सैट, चार्ट पेपर, चिपकाने के लिए गोंद और मार्कर पेन प्रदान करें। यदि फोटो रंगीन हों तो अच्छा होगा।
- समूहों को दिये गए फोटो सेट को तकनीकी रूप से उचित क्रम में चार्ट पेपर पर चिपकाते हुए नलजल योजना का स्वरूप देने के लिए कहें। साथ ही मार्कर पेन की मदद से हर एक संरचना एवं अवयव का नाम भी लिखने के लिए कहें।
- समूह कार्य पूर्ण होने पर बारी-बारी से समूहों को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करें। प्रस्तुतिकरण के दौरान समूहों को संरचनाओं और अवयवों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी देने के लिए कहें। प्रस्तुतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने तथा सुझाव देने के लिए समय प्रदान करें।

समूह प्रस्तुतिकरण में नलजल योजना से संबंधित संरचनाओं और अवयवों पर सहभागियों की स्पष्ट समझ नहीं बन पायी हो तो नीचे दी गई पीपीटी की लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर जानकारी प्रदान करें।

https://docs.google.com/presentation/d/1euhZjJNSyFmj7Lddqiaf-NxM8tsMbtEy/edit#slide=id.p1

नोट- यदि संभव हो तो प्रतिभागियों को किसी नल जल योजना की विजिट भी करायी जा सकती है।

जल आपूर्ति योजना के प्रमुख अवयव :

क्र.	नाम	नमूना – फोटो
1	**जल स्रोत :** वह स्थान एवं जल स्रोत जहां से पानी निकाला जाएगा।	
2	**मोटर पम्प :** बोरवेल की गहराई अनुसार उपयोग होने वाले अलग-अलग हार्सपावर या क्षमता के मोटर पम्प	
3	**राइजिंग मेन पाइपलाइन :** यह पाइपलाइन जल स्रोत से पानी को शुद्धिकरण प्लांट, सम्प या टंकी तक पहुंचाने का काम करती है।	

क्र.	नाम	नमूना – फोटो
4	**पम्प हाउस / स्टाटर पाइन्ट :** वह स्थान जहां पर नल जल योजना संचालन से जुड़े विद्युत तथा अन्य उपकरण लगाये जाते हैं।	
5	**जल वितरण व्यवस्था :** घरों की संख्या और भौगोलिक स्थिति के अनुसार निम्न तरीकों से जल वितरण किया जाता है। • स्पॉट सोर्स (सोर्स से घर तक सीधी सप्लाई) • स्पॉट सोर्स (सोर्स के पास छोटा टैंक बनाकर सप्लाई) • सम्प (जनसंख्या के आधार पर) • ओवर हेड टैंक (जनसंख्या के आधार पर)	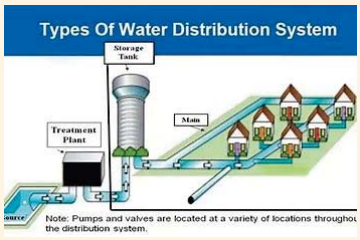
6	**जल वितरण या डिस्ट्रीब्युशन पाइपलाइन :** पानी की टंकी, सम्प या सीधे जल स्रोत से घरों में पानी वितरण के लिए बिछायी जाती है।	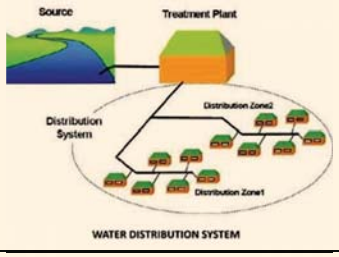
7	**चेक वाल्व :** सभी घरों और बसाहटों में उचित दबाव के साथ पानी पहुंचाने के लिए उचित दूरी या मानक के आधार पर चेक वाल्व लगाये हैं।	
8	**फेरूल :** वितरण पाइपलाइन से घरों में पहुंचने वाले पानी को नियंत्रित करने के लिए घरेलू कनेक्शनों में लगाया जाता है।	
9	**नल कनेक्शन :** जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार नल कनेक्शन घर के अन्दर लगाये जाने का प्रावधान है।	
10	**स्टेन्ड पोस्ट एवं टोंटी :** नल कनेक्शन की सुरक्षा के लिए स्टेन्ड पोस्ट बनाये जाते हैं।	

नोट- सत्र से संबंधित संदर्भ सामग्री के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर पेज नंबर 9 देखें।
https://drive.google.com/file/d/1ZkmhuTYT0K6egP0eX3qe7z2tOnsa4o7E/view

दूसरा दिन
सत्र 3

जल सुरक्षा योजना कैसे बनाएं ?

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

सत्र के उद्देश्य

- जल सुरक्षा क्या है एवं क्यों जरूरी है? इससे अवगत कराना।
- जल बजट क्या है? कैसे बनाते हैं? इस पर समझ विकसित करना।
- जल सुरक्षा मोबाइल एप का उपयोग कर गांव की जल सुरक्षा योजना बनाना सीखना।
- स्रोत स्थायित्व संबंधी गतिविधियों को कार्य योजना में शामिल करने पर समझ विकसित करना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, केस स्टडी एवं जल सुरक्षा मोबाइल एप।

सत्र संचालन प्रक्रिया

यह सत्र **''स्वयं करके देखें और सीखें''** के सिद्धांत पर आधारित है। प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों के मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से **''जल सुरक्षा एप''** डाउनलोड करायें। जिन प्रतिभागियों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, उन्हें उन प्रतिभागियों के साथ बैठायें जिनके पास स्मार्ट फोन है। इस एप का निर्माण "समर्थन" संस्था भोपाल द्वारा किया गया है और यह प्ले स्टोर/नीचे दी गई लिंक या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर नि:शुल्क डाउनलोड और उपयोग किया जा सकता है।

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pratham.jalsurksha

प्रशिक्षक नीचे दी गई जल सुरक्षा एप से संबंधित पीपीटी की लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर जल बजट बनाने की चरणबद्ध जानकारी उपलब्ध करायें और प्रतिभागियों से अपने-अपने मोबाइल में अभ्यास करने के लिए कहें।

https://docs.google.com/presentation/d/1s6mdY-2ireggdcL7fVGTnxjqLc5YBxy6/edit#slide=id.p1

- जल सुरक्षा एप डाउनलोड करने के बाद, तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद सत्यापन के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करने पर प्रोफाइल पेज खुलेगा। इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- प्रोफाइल में आप जिस जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और गांव की जानकारी दर्ज करेंगे, उसी गांव की जानकारी देख और दर्ज कर सकेंगे। यदि आप किसी अन्य जिले के गांव का जल सुरक्षा बजट तैयार करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल में जाकर उस जिले और गांव का चयन कर अपडेट करना होगा।

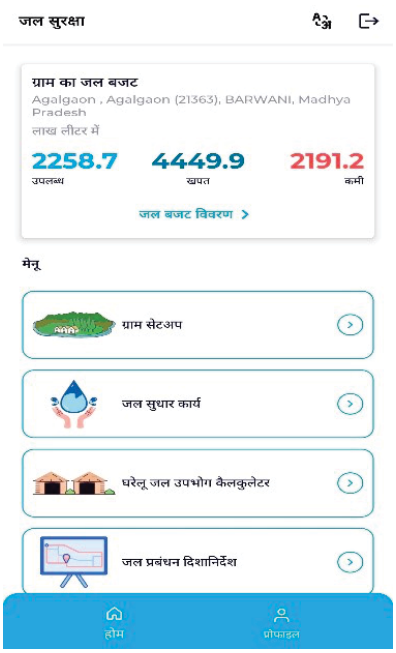

जल बजट प्रक्रिया के चरण :

1. **ग्राम सेटअप:**
   - o मेनू में "ग्राम सेटअप" विकल्प पर क्लिक करें।
   - o खुलने वाले पेज में गांव की कुल परिवार संख्या और जनसंख्या स्वतः प्रदर्शित होगी।
   - o ''एडिट'' के चिन्ह पर क्लिक करके गांव की मिट्टी का प्रकार, कुल क्षेत्रफल और औसत वर्षा की जानकारी दर्ज करें।

2. **फसल प्रबंधन:**
   - o "फसल प्रबंधन" विकल्प पर जाएं और "प्लस" चिन्ह पर क्लिक कर, गांव में बोई जाने वाली फसलों और उनके रकबे की जानकारी दर्ज करें।
3. **पशु प्रबंधन:**
   - o "पशु प्रबंधन" विकल्प पर जाएं और "प्लस" चिन्ह पर क्लिक कर, पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के अनुसार संख्या दर्ज करें।
4. **जल निकाय प्रबंधन:**
   - o "जल निकाय प्रबंधन" विकल्प पर जाएं और "वर्षा की गणना" विकल्प का चयन कर गांव का कुल क्षेत्रफल व औसत वर्षा की जानकारी दर्ज करें।
5. **जल सुधार कार्य:**
   - o मुख्य पेज पर जाकर "जल सुधार कार्य" विकल्प का चयन करें।
   - o "कार्य को जोड़ें" विकल्प पर क्लिक करने पर और दो विकल्प दिखाई देंगे :
     - ▪ **जल निकायों में सुधार:** पहले से मौजूद संरचनाओं में सुधार।
     - ▪ **नया जल निकाय बनायें:** नई संरचनाओं का निर्माण।
   - o अपनी आवश्यकता के अनुसार सही विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
6. **रिपोर्ट तैयार करना:**
   - o सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, मुख्य पेज पर वापस जाकर "प्रतिवेदन" विकल्प पर क्लिक करें।
   - o आपके द्वारा दर्ज किए गए डेटा के आधार पर रिपोर्ट प्रदर्शित हो जायेगी, जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है।
   - o इस रिपोर्ट का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में जल संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों को शामिल कराने के लिए किया जा सकता है।

सत्र समेकन

- प्रशिक्षक पानी की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अंतर का विश्लेषण कर बतायें, और प्रतिभागियों से पूछें कि यदि इस अंतर को समाप्त करना है तो हमें कौन-कौन सी गतिविधियां करनी होगी।
- इस बात पर जोर दें कि अच्छी जल सुरक्षा योजना बना लेने और गतिविधियों को चिन्हित कर लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, इसके लिए जो भी गतिविधियां निकलकर आयी हैं, उन्हें पंचायत के साथ बात कर जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) में जुड़वाना होगा। क्योंकि जब तक जीपीडीपी में गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है, तब तक उनका क्रियान्वयन या पूरा हो पाना संभव नहीं है।
- जो भी गतिविधियां निकल कर आती हैं, जरूरी नहीं है कि सभी गतिविधियों के लिए सरकारी फंड की आवश्यकता हो, कई गतिविधियां सामुदायिक श्रम दान/ अंशदान और सहयोग से भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी नाले पर बरसात के बाद बोरी बंधान बनाना है ताकि लम्बे समय तक उसमें पानी उपलब्ध रहे तो इस काम को उन लोगों की मदद से जिन्हें इसका लाभ होने वाला है आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- सिर्फ नई संरचनायें बनाने से ग्राम में जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच का अंतर कम नहीं होगा। सभी ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध जल का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग भी बहुत आवश्यक है। सहभागियों से पूछें कि जल की व्यर्थ बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं। सहभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करें और उनसे पूछें कि यह कैसे संभव होगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। सभी के जवाब आ जाने के बाद देख लें कि कहीं कोई गतिविधि छूट तो नहीं गई है, अगर छूट गई है तो उसे जोड़ें तथा गतिविधि वार चर्चा करें।

नोट : मेनुअल रूप से ''जल सुरक्षा'' योजना बनाने की प्रक्रिया के लिये अनुलग्नक-2 देखें।

दूसरा दिन
सत्र 4

योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

समयावधि : 3 घन्टा

सत्र के उद्देश्य

- जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न संस्थाओं की पहचान और उनके महत्व का विश्लेषण करना।
- योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं पर समझ बनाना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच पेन, चपाती चित्रण हेतु विभिन्न साइज के गोलाकार कार्ड और सत्र से संबंधित पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार 2 उप सत्रों में बांटा गया है –

उप सत्र-1 : चपाती चित्रण के माध्यम से जल जीवन मिशन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर समझ।

उप सत्र-2 : योजना निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका।

उप सत्र -1: योजना निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र संचालन

- सहभागियों से प्रश्न करें – ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक ऐसी कौन-कौन सी संस्थायें या संगठन हैं, जिनकी भागीदारी नलजल योजना की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- सहभागियों द्वारा बताये गए संस्थाओं के नामों को चार्ट पेपर या बोर्ड पर दर्ज करते जायें।
- अब सहभागियों को प्रशिक्षण स्थल के बीच गोल घेरे में बैठने या खड़ा होने के लिए कहें।
- सहभागियों में से 6-7 सहभागियों को गोल घेरे के बीच में बुलाएं और उन्हें छोटे-बड़े विभिन्न आकार एवं रंग के गोलाकार कार्ड प्रदान करें तथा चार्ट पेपर के बीच में मार्कर या स्केच पेन की मदद से गांव की सीमा के लिए एक बड़ा गोल घेरा बनाने के लिए कहें।
- अब एक बड़े आकार के कार्ड पर जल जीवन मिशन लिखकर बनाए गए गोल घेरे के केन्द्र में रखने के लिए कहें।
- सहभागियों से पूछें कि जिन संस्थाओं को आपने चिन्हित किया है क्या सभी की भूमिका एक समान है या कम-ज्यादा है। सहभागियों के जवाबों को सुनें और बतायें कि जिस संस्था की भूमिका अधिक है उसकी चपाती बड़ी होगी अर्थात उसका नाम बड़े कार्ड पर लिखा जायेगा और जिसकी भूमिका मध्यम या कम है उसका नाम उसी के अनुरूप मध्यम या छोटे आकार के कार्ड पर लिखा जायेगा। जिस संस्था की भूमिका और महत्व अधिक है उस संस्था के कार्ड को जल जीवन मिशन के कार्ड के उतने ही करीब रखने के लिए कहें। साथ ही इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहें कि यदि वह संस्था गांव के अन्दर है तो गांव की सीमा वाले गोले के अन्दर उसके महत्व के अनुसार जल जीवन मिशन वाले कार्ड से दूरी बनाकर और गांव से बाहर है तो गांव की सीमा वाले गोले के बाहर उसके महत्व अनुसार गांव की सीमा से दूरी पर रखने के लिए कहें।
- जब सहभागियों का एक समूह इस अभ्यास को पूरा कर ले तो अन्य सहभागियों के समूह को आमंत्रित करें। यह समूह पूर्व समूह द्वारा किए गए चपाती चित्रण का अवलोकन करेगा। यदि इस समूह के सदस्यों को लगता है कि किसी संस्था के कार्ड को उसके महत्व और प्रभाव के अनुसार उचित स्थान पर नहीं रखा गया है तो आपस में चर्चा कर उसका स्थान परिवर्तन

करेगा। साथ ही यदि किसी अन्य संस्था का नाम ध्यान में आता है तो एक कार्ड पर उसका नाम लिखकर उचित स्थान पर रखेगा। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराने से सहभागियों में चपाती चित्रण के माध्यम से नलजल योजना की सफलता में कौन सी संस्था का महत्व अधिक, कौन सी संस्था का महत्व मध्यम या कम है इस पर एक आम सहमति बन चुकी होगी। इसके अलावा पहुंच की दृष्टि से कौन सी संस्था गांव के भीतर है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और कौन सी संस्था महत्वपूर्ण तो है लेकिन वह गांव से बाहर है या दूर है इस बात पर भी समझ बन जायेगी।

चपाती चित्रण का नमूना

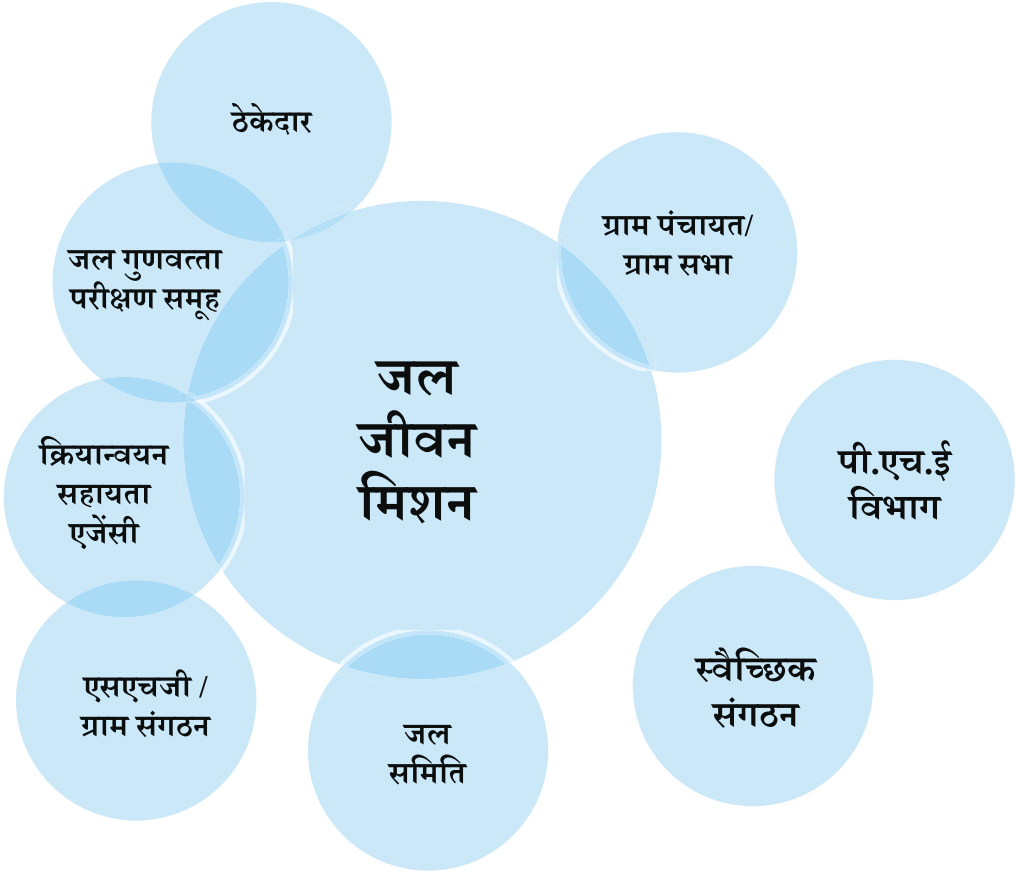

उप सत्र -2 : योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन व रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र संचालन प्रक्रिया

पूर्व उप सत्र में हमने नलजल योजना की सफलता में कौन-कौन सी संस्थाएं प्रमुख हैं और उनका क्या महत्व है, इसके बारे में जाना। इस सत्र में हम इन संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में जानेंगे।

इसके लिए सभी सहभागियों को 6 समूहों में बांटें। चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण के लिए समूहों को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह-1 : ग्राम पंचायत की भूमिका

समूह-2 : ग्रामसभा/ समुदाय की भूमिका

समूह-3 : ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

समूह-4 : स्वयं सहायता समूह/ग्राम संगठन की भूमिका

समूह-5 : क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी की भूमिका

समूह-6 : पीएचईडी/ठेकेदार की भूमिका

समूहों को विषय आवंटित करने के बाद चर्चा करने हेतु अलग-अलग स्थान पर बैठने के लिए कहें और समूह चर्चा का समय तय कर सभी को बतायें।

- समूह चर्चा के बीच बारी-बारी से समूहों के बीच बैठें एवं चर्चा को सुनकर आवश्यक मदद करें ताकि चर्चा सही दिशा में हो सके।
- बीच-बीच में समूहों को समय का ध्यान भी दिलाते रहें।
- चर्चा का समय पूरा होने के बाद समूहों को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित करें।
- एक समूह की प्रस्तुति के बाद अन्य सहभागियों को प्रस्तुतकर्ता समूह से सवाल पूछने या शंका समाधान का अवसर दें। जहां आवश्यकता हो वहां स्वयं विषय को स्पष्ट करें। इस प्रकार सभी समूहों का एक-एक कर प्रस्तुतीकरण करायें।
- सभी समूहों के प्रस्तुतिकरण पश्चात नीचे दी गई पीपीटी की लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर विभिन्न संस्थाओं की उन भूमिकाओं को स्पष्ट करें जो समूहों के प्रस्तुतिकरण में नहीं आ पायी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं।

  https://docs.google.com/presentation/d/1Px6qwUuC7JHEN-MLrNAjDDDAAK7TsJvB/edit#slide=id.p1

सत्र समेकन

- समुदाय और विभिन्न संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी जल जीवन मिशन का केन्द्र बिन्दु हैं। अनुभव बताते हैं कि पूर्व में संचालित की गई कई योजनायें समुदाय एवं संस्थागत व्यवस्थाओं की सक्रिय भागीदारी न होने के कारण सफल नहीं हो पायीं।
- हर घर तक नल से पर्याप्त, गुणवत्तायुक्त और नियमित जल आपूर्ति हो इसके लिए गांव की वास्तविक जरूरत के मुताबिक योजना बनाना जरूरी है, जिसमें स्थानीय समुदाय एवं ग्राम पंचायत की बड़ी भूमिका है।
- ग्राम पंचायत को पीएचईडी के तकनीकी अमले से संपर्क बनाना होगा ताकि बनाई गई योजना के तकनीकी मापदंड पूरे हो सकें।
- जिले से भी संपर्क बनाना होगा ताकि योजना की स्वीकृति एवं राशि समय पर मिल सके।
- योजना बनने के बाद गुणवत्तायुक्त अधोसंरचना का निर्माण हो इसके लिए ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के साथ-साथ समुदाय द्वारा लगातार निगरानी की आवश्यकता है।
- यह तभी हो सकता है जब योजना के शुरुआती चरणों से ही समुदाय को साथ में लिया जाये।
- योजना की कुल लागत राशि का 5 से 10 प्रतिशत अंशदान समुदाय को देना है, इसकी तैयारी स्थानीय लोग ही कर सकें इसके लिए उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि समुदाय गांव की योजना को अपनी योजना माने, तो इसके लिए समुदाय को लगातार भागीदार बनाकर उन्हें केन्द्र में रखकर स्वामित्व सौंपना होगा।
- योजना बनाने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में पंचायत के साथ-साथ आईएसए (क्रियान्वयन सहायता एजेंसी) की भी बड़ी भूमिका है।
- योजना पूर्ण हो जाने के बाद उसके नियमित संचालन एवं समय-समय पर रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेवारी समुदाय एवं पंचायत को ही लेनी है। अत: इसकी तैयारी शुरुआत से ही करनी होगी ताकि संचालन एवं रखरखाव के लिए आवश्यक राशि समय पर एकत्रित हो सके।
- गुणवत्तायुक्त जल सभी को मिले इसके लिए नियमित जल गुणवत्ता जांच के साथ-साथ घरेलू स्तर पर जल उपचार के साधनों एवं प्रक्रिया पर लोगों को जागरूक करना होगा। इसके लिए ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति या जल गुणवत्ता परीक्षण दल को जिम्मेवारी लेनी होगी।

नोट- सत्र से संबंधित संदर्भ सामग्री के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर पेज नंबर 17 देखें।

https://drive.google.com/file/d/1ZkmhuTYT0K6egP0eX3qe7z2tOnsa4o7E/view

जल जीवन मिशन के संदर्भ में ग्राम स्तरीय संस्थाओं की भूमिका

ग्राम स्तरीय संस्था	कार्य योजना (वीएपी) निर्माण	क्रियान्वयन की निगरानी	संचालन एवं रखरखाव	लेखा परीक्षण एवं रिपोर्टिंग	बैठक
ग्राम सभा	• हर समुदाय, वर्ग को भागीदारी के लिए प्रेरित करना। • जल स्रोतों की पहचान एवं उनके स्थायित्व पर चर्चा करना। • ग्राम कार्य योजना को मंजूरी और बजट आदि पर चर्चा करना। • अभिसरण हेतु वित्तीय स्रोतों की पहचान एवं उन पर चर्चा करना। • आय-व्यय योजना को मंजूरी देना। • धन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग हेतु प्रयास करना।	• जल वितरण व्यवस्था की प्रभावी निगरानी में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सहयोग करना। • ग्राम में जल वितरण हेतु बनाये गए नियमों को मंजूरी देना। • निर्माण कार्यों की निगरानी करना। • कार्यों को मंजूरी देना। • प्रभावी जल आपूर्ति हेतु नियम बनाना।	• जल कर का निर्धारण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छूट या रियायत देने पर निर्णय लेना। • अवैध कनेक्शन और पानी का दुर्पयोग रोकने हेतु कड़े नियम बनाना। • ग्राम सभा में चर्चा के बाद जल कर शुल्क को स्वीकृत करना। • जल कर वसूली की रणनीति बनाना। • जल स्रोतों नियमित जल गुणवताा जांच सुनिश्चित करना।	• नलजल योजना के आय-व्यय का सामाजिक लेखा परीक्षण करना। • वार्षिक बजट ग्राम सभा में रखना। • लेखा एवं बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा करना। • क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव की प्रभावशीलता दिखाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट बनाना।	• नियमानुसार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना। • जल आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ें विषयों पर चर्चा कर निर्णयों का अनुमोदन करना। • नियमानुसार बैठकों का आयोजन करना। • ग्राम जल स्वच्छता समिति की बैठकें आयोजित किया जाना सुनिश्चित करना।
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति	• ग्राम कार्य योजना हेतु जल स्रोतों की पहचान एवं नल जल योजना के संचालन की योजना बनाना। • सभी हितग्राहियों से सहयोग लेना। • वार्षिक बजट बनाना। • जल कर के निर्धारण हेतु सलाह देना।	• निर्माण कार्यों की निगरानी में पंचायतों को सहयोग करना। • जल वितरण हेतु नियम बनाने में सहयोग करना। • तकनीकी मुद्दों में पंचायत के माध्यम से विभाग को अवगत कराना।	• प्रशिक्षित अनुभवी मेकेनिक आदि से अनुबंध करना। • पंप आपरेटर की सहायता हेतु विशेषज्ञों से सहायता लेना। • स्पेयर पार्टस खरीदना। • जल कनेक्शन स्वीकृत करना। • रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब रखना।	• लेखा की मासिक समीक्षा करना। • क्रियान्वयन एवं संचालन प्रगति का लेखा एवं तिमाही रिपोर्ट को ग्राम सभा में रखना।	• माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना। • ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेना।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति	• ग्राम कार्य योजना हेतु जल स्रोतों की पहचान एवं नल जल योजना के संचालन की योजना बनाना। • सभी हितग्राहियों से सहयोग लेना। • वार्षिक बजट बनाना। • जल कर के निर्धारण हेतु सलाह देना।	• निर्माण कार्यों की निगरानी में पंचायतों को सहयोग करना। • जल वितरण हेतु नियम बनाने में सहयोग करना। • तकनीकी मुद्दों में पंचायत के माध्यम से विभाग को अवगत कराना।	• प्रशिक्षित अनुभवी मेकेनिक आदि से अनुबंध करना। • पंप आपरेटर की सहायता हेतु विशेषज्ञों से सहायता लेना। • स्पेयर पार्टस खरीदना। • जल कनेक्शन स्वीकृत करना। • रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब रखना।	• लेखा की मासिक समीक्षा करना। • क्रियान्वयन एवं संचालन प्रगति का लेखा एवं तिमाही रिपोर्ट को ग्राम सभा में रखना।	• माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना। • ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेना।
स्व सहायता समूहों की भूमिका	• योजना निर्माण के दौरान कोई मोहल्ला या घर ना छूटे यह सुनिश्चित करने में सहयोग करना।	• निर्माण कार्यों की निगरानी में ग्राम जल स्वच्छता समिति को सहयोग करना।	• जलकर वसूली में सहयोग करना। • पानी का दुर्पयोग रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना।	• जलकर वसूली की जिम्मेदारी होने की स्थिति में लेखा-जोखा तैयार कर बैठकों में प्रस्तुत करना।	• ग्राम पंचायत/ जल स्वच्छता समिति/ ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना
पीएचईडी/ ठेकेदार की भूमिका	• योजना निर्माण में महिलाओं सहित सभी वर्ग एवं समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। • ग्राम कार्य योजना की डीपीआर तैयार कर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करना।	• ग्राम कार्ययोजना के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। • इस बात की निगरानी करना कि सभी कार्य डीपीआर के मापदण्डों के तहत पूर्ण किये जायें।	• परीक्षण के उपरांत ही नल जल योजना का हस्तांतरण सुनिश्चित करना। • जल स्रोतों का नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करना और क्लोरीनेशन कराना।	• नल जल योजना में प्रयुक्त सभी सामग्रियों के बिल, गारन्टी/वारन्टी की फोटोकॉपी, हस्तांतरण के समय पंचायत/वीडब्ल्युएसी को उपलब्ध कराना।	• योजना के आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहयोग देना।
क्रियान्वयन सहायता एजेंसी की भूमिका (आईएसए)	• जल जीवन मिशन के बारे में समुदाय को जागरूक करना और योजना निर्माण में सहयोग प्रदान करना।	• सामुदायिक अंशदान और जलकर वसूली में सहयोग करना। • कार्यान्वयन की निगरानी हेतु वीडब्ल्युएससी की क्षमतावृद्धि करना।	• नल जल योजना के हस्तांतरण में सहयोग करना। • ग्रे-वाटर के प्रबंधन में ग्राम पंचायत को सहयोग करना।	• ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेकर ग्रामीणों से नल जल योजना पर सुझाव लेना।	• ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेकर जल स्रोतों के स्थायित्व पर बात रखना।

01
पहला दिन

02
दूसरा दिन

03
तीसरा दिन

04
चौथा दिन

तीसरा दिन
सत्र 2

नलजल योजना की निगरानी

समयावधि : 2 घन्टा 30 मिनट

सत्र के उद्देश्य

- जल गुणवत्ता की निगरानी एवं घरेलू उपचार पर समझ बनाना।
- नलजल योजना के विभिन्न घटकों की निगरानी पर समझ विकसित करना।
- सामुदायिक योगदान /जनभागीदारी के मानदंड पर समझ बढ़ाना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं सत्र से संबंधित पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार दो उप सत्रों में बांटा गया है–

उप सत्र-1 : जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार – 30 मिनिट

उप सत्र-2 : नलजल योजना की निगरानी, अंशदान और कनेक्शन शुल्क की वसूली – 1 घन्टा 45 मिनिट

उप सत्र -1: जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार

प्रक्रिया के चरण :

सहभागियों से एक—एक कर निम्न प्रश्न पूछें -

- साफ पानी का क्या मतलब है, हम कब कहेंगे कि हमारा पानी साफ है?
- पानी में किस-किस प्रकार की गंदगी हो सकती है?

सहभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर दोनों प्रश्नों के अनुसार अलग-अलग लिखें और महत्वपूर्ण जवाबों को दोहरायें।

- नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर पीपीटी के माध्यम से जल गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न विषयों को स्पष्ट करें।

https://docs.google.com/presentation/d/1mkFKuPfMNHkE2Z4vuDdW2irWRb4KuaOo/edit#slide=id.p1

सत्र समेकन

पेयजल की शुद्धता हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी में कई प्रकार के रासायनिक तत्व तय सीमा से अधिक मात्रा में मिले हो सकते हैं, साथ ही इसमें विषाणु भी हो सकते हैं। पेयजल की अशुद्धि से कई प्रकार की बीमारियां जैसे— डायरिया, पीलिया के साथ-साथ शरीर के विभिन्न अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम जांच कर पता लगायें कि जो पानी हम पी रहे हैं वह पीने लायक है या नहीं। जल शुद्धी के लिए जो उपचार घर के स्तर पर किये जा सकते हैं उन्हें जरूर किया जाना चाहिये। जिन क्षेत्रों में जल प्रदूषण की स्थिति गम्भीर है वहां पीएचई विभाग से सम्पर्क कर जल शोधन प्लांट लगवाया चाहिये ताकि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके और वे जल जनित बीमारियों के प्रकोप से बचे रहें।

सत्र समेकन

इस बात पर जोर दें कि शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए हमें उन समस्याओं पर भी काम करना होगा, जो हमारे जल स्रोतों को दूषित बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे –

- जल स्रोतों के आसपास कम से कम 30 फिट के दायरे में कोई घूड़ा, गोबर-कचरे का ढेर, शौचालय के लिए गड्ढों का निर्माण आदि ना करने पर चर्चा करें ताकि जल स्रोतों को जैविक जल प्रदूषण से बचाया जा सके।

नोट : जल गुणवत्ता परीक्षण पर विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52 , पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन करें।

https://drive.google.com/file/d/1uazSMx-s3Bk6m6MNJ6AdxIm5wvgcxH8N/view

उप सत्र - 2 : योजना की निगरानी, अंशदान और कनेक्शन शुल्क की वसूली

सत्र संचालन

यह सत्र समूह अभ्यास के माध्यम से संचालित किया जायेगा। सभी सहभागियों को 4 समूह में बांटें। समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण के लिए समूहों को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह -1 : ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाइपलाइन, सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है?

समूह -2 : सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक से गाँव के विभिन्न मोहल्लों में बिछाई गई पाइपलाइन / वाल्व आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है?

समूह -3 : घरेलू नल कनेक्शन, शुरुआत से लेकर गाँव के अंतिम छोर तक दबाव के साथ जल आपूर्ति, जल भण्डारण और अपशिष्ट जल के प्रबंधन में क्या निगरानी करने की आवश्यकता है?

समूह - 4 : जल वितरण व्यवस्था और मासिक जलकर वसूली व्यवस्था में क्या निगरानी की आवश्यकता है?

प्रत्येक समूह दिये गये विषय पर चर्चा कर निगरानी के मुद्दे और उनके लिए कौन जिम्मेदार एवं जवाबदेह व्यक्ति या संस्था हो सकती है पहचान कर अपना प्रस्तुतिकरण करेगा। यदि समूहों के प्रस्तुतिकरण में विषय से संबंधित निगरानी के कोई मुद्दे छूट गये हों तो आगे दी गई विषय वार तालिका का उपयोग कर सहभागियों को जानकारी प्रदान करें।

समूह-1 : ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाइपलाइन, सम्पवेल/ओवरहेड टैंक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है?

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1	ट्यूबवेल के आसपास की साफ-सफाई	पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
2	जल स्रोतों का स्थायित्व	वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत
3	राइजिंग मेन पाइपलाइन से अवैध नल कनेक्शन	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्युएससी, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
4	राइजिंग मेन पाइपलाइन में लीकेज तथा गंदे पानी का प्रवेश	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
5	समय-समय पर सम्पवेल और ओवरहेड टैंक की सफाई	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
6	पम्प हाउस और अन्य उपकरण, सामग्री की निगरानी	पम्प ऑपरेटर या नियुक्त कर्मचारी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
7	टयूबवेल और सम्पवेल में पानी की गुणवत्ता	जल गुणवत्ता जांच दल	वीडब्ल्युएससी

समूह-2 : सम्प वेल/ओवरहेड टैंक से गांव के विभिन्न मोहल्लों में बिछायी गई पाइपलाइन/वाल्व आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है ?

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1.	नलजल योजना में लगायी जाने वाली सभी सामग्री जैसे - मोटर, पाइप, फेरूल आदि आईएसआई मार्क की हैं	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और समुदाय	पीएचईडी एवं ठेकेदार
2.	सभी घरों में नल कनेक्शन और जल वितरण हेतु वाल्व फिटिंग	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी, समुदाय और हितग्राही	पीएचईडी एवं ठेकेदार
3.	टंकी की साफ-सफाई और पानी की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी, समुदाय और जल गुणवत्ता जांच दल	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और पीएचईडी
4.	मोहल्ला वार नियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था	ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और पम्प ऑपरेटर
5.	पाइपलाइन बिछाने हेतु नाली की उचित गहराई (3 फिट), चेम्बर का स्थान और निर्माण की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार
6.	पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई रोड/सड़क की मरम्मत	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और समुदाय	ठेकेदार

समूह-3 : घरेलू नल कनेक्शन, शुरूआत से लेकर गांव के अंतिम छोर तक दबाव के साथ जल आपूर्ति और घरों में जल भण्डारण और उपयोग में क्या निगरानी की आवश्यकता है?

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1	घरों में उचित स्थान पर गुणवत्ता पूर्ण नल कनेक्शन	वीडब्ल्युएससी, पम्प ऑपरेटर	ठेकेदार और पीएचईडी
2	मोहल्ला/टोला के अनुसार चैक वाल्व	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत	ठेकेदार और पीएचईडी
3	नल कनेक्शन में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत, समुदाय	ठेकेदार और पीएचईडी
4	घरों में पानी की भण्डारण व्यवस्था	हितग्राही, वीडब्ल्युएससी	वीडब्ल्युएससी और जल गुणवत्ता परीक्षण दल
5	नल कनेक्शन में अवैध रूप से मोटर लगाना	वीडब्ल्युएससी, पम्प ऑपरेटर, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
6	पानी के उपयोग पर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत, ग्राम सभा
7	व्यक्तिगत और सामुदायिक सोख्ता गडढों का निर्माण	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत, हितग्राही	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
8	ग्रे-वाटर का किचिन गार्डन में उपयोग	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत, हितग्राही	ग्राम पंचायत व वीडब्ल्युएससी

समूह-4 : जल वितरण व्यवस्था और मासिक जलकर वसूली व्यवस्था में क्या निगरानी की आवश्यकता है?

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1	बसाहटों के अनुसार वाल्व लगाना	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
2	ऊँचाई या टीले की बसाहटों में पहले पानी देना	वीडब्ल्युएससी	पम्प ऑपरेटर
3	एक वाल्व से उचित संख्या में नल कनेक्शन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार और पीएचईडी
4	मोहल्ला वार जल आपूर्ति समय का निर्धारण	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	पम्प ऑपरेटर
5	सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन आदि में नल कनेक्शन एवं जल आपूर्ति	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
6	पानी के दुर्पयोग को रोकने के लिए हर नल कनेक्शन पर पानी का मीटर लगाना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	पम्प ऑपरेटर और तकनीशियन
7	सामुदायिक अंशदान, मासिक जलकर एकत्र करना और उसका रिकार्ड रखना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	वीडब्ल्युएससी
8	रेट्रोफिटिंग के मामले में एपीएल, बीपीएल श्रेणी के अनुसार अंशदान वसूली	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	वीडब्ल्युएससी
9	नलजल योजना की राशि के संधारण हेतु अलग बैंक खाता खुलवाना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत

नोट : समूह प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने या शंका समाधान का अवसर अवश्य दें।

सत्र समेकन

इस बात के महत्व पर चर्चा करें कि नलजल योजना बिना रूकावट के लम्बे समय तक सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए निगरानी व्यवस्था का मजबूत होना और जलकर की नियमित वसूली बेहद जरूरी है। लोग नियमित जलकर जमा दें इसके लिए नियमित जल आपूर्ति भी उतनी ही जरूरी है।

तीसरा दिन
सत्र 3

सहभागी तरीके से नलजल योजना का संचालन एवं रखरखाव

समयावधि : 2 घन्टा

सत्र के उद्देश्य

- नलजल योजना में मासिक जलकर निर्धारण प्रक्रिया को समझना।
- जलकर संग्रहण हेतु नियम बनाना सीखना।
- संभावित खर्चों के भुगतान व्यवस्था को समझना।
- नलजल योजना के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका पर समझ बनाना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र की विषय वस्तु को दो उप सत्रों में बांटा गया है -

उप सत्र-1 : ग्राम सभा में जलकर का निर्धारण – 1 घन्टा 15 मिनिट (45 मिनिट रोल प्ले और 30 मिनिट डीब्रीफिंग के लिए)

उप सत्र-2 : नलजल योजना के संचालन और रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका (45 मिनिट)

उप सत्र -1: ग्राम सभा में जलकर का निर्धारण

इस सत्र का संचालन रोल प्ले के माध्यम से किया जायेगा। रोल प्ले के लिए सहभागियों को अलग-अलग भूमिकायें दी जायेंगी, जो अपनी-अपनी भूमिका के अनुरूप ग्राम सभा में व्यवहार करेंगे।

रोल प्ले का विवरण :

रोल प्ले के किरदार : रोल प्ले के लिए सहभागियों को उनकी रूचि के अनुसार भूमिका देना, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पंच, जल समिति सदस्य, पीएचईडी इंजीनियर, ग्राम सेवक, महिला समूह की सदस्य एवं ग्राम सभा सदस्य (युवा, महिलाऐं और पुरुष) शामिल हो सकते हैं।

रोल प्ले संचालन विधि : जो सहभागी रोल प्ले में भाग लेने वाले हैं उन्हें प्रशिक्षण हॉल के बाहर ले जाकर, हर एक को उनके किरदार के नाम की पर्ची दें और बतायें कि आपको जो किरदार दिया गया है उसी के अनुसार अपनी बात रखना है। जो सहभागी रोल प्ले में शामिल नहीं हैं, उन्हें रोल प्ले को ध्यान से देखने और रोल प्ले के बाद उन्होंने जो देखा, अवलोकन किया उसे बताने के लिए कहें। जैसे - ग्राम सभा कि प्रकिया पूरी हुई या नहीं, क्या निर्णय लिए गये, निर्णयों में सभी की भागीदारी थी या नहीं, आदि।

ग्राम सभा में निम्न एजेंडे पर चर्चा की जायेगी -

1. मासिक जलकर राशि का निर्धारण और जमा करने की जिम्मेदारी सौंपना।
2. मोहल्ला वार जल आपूर्ति का समय और अवधि निर्धारित करना।
3. संचालन एवं निगरानी के नियम बनाना और जिम्मेदारी बांटना।

ग्राम सभा की बैठक व्यवस्था : ग्राम सभा की बैठक व्यवस्था अंग्रेजी के 'यू' अक्षर के आकार में होगी। रोल प्ले के लिए ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव, पीएचईडी इंजिनियर एवं ग्राम सेवक सामने बैठेंगे और ग्राम सभा सदस्य कतार में उनके सामने बैठेंगे।

रोल प्ले हेतु दी जाने वाली भूमिकायें

सरपंच – हाल ही में पीएचई विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को नलजल योजना हस्तांतरित की गई है। इसके सफल संचालन एवं रखरखाव पर आने वाले खर्च की गणना, जलकर का निर्धारण, संचालन की जिम्मेदारी, प्रति घर मासिक जलकर का निर्धारण किया जाना है।

सचिव – सरपंच की अनुमति लेकर बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनायेंगे और बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेंगे और अंत में बैठक में लिए गये निर्णयों को पढ़कर सभी को सुनायेंगे।

ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति सदस्य- समर्थन संस्था द्वारा 20 गांवों में नलजल योजना के संचालन एवं रखरखाव पर आने वाले खर्च पर किये गये अध्ययन के निष्कर्षों को उदाहरण स्वरूप ग्राम सभा में साझा करेंगे।

ग्राम सभा सदस्य – मोहल्ला वार जल आपूर्ति के समय और अवधि को लेकर अपनी बात रखेंगे।

स्व सहायता समूह सदस्य - जलकर संग्रहण कौन करेगा? क्या जलकर जमा करने वाले को कोई रसीद या पावती दी जायेगी? और जलकर संग्रहण की जिम्मेदारी समूह को देने की मांग करेंगे।

ग्राम सभा बैठक की प्रक्रिया

- कोरम पूर्ति का आकलन।
- उपस्थित सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष का चयन।
- सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडा में शामिल बिन्दुओं का वाचन।
- हर एक मुद्दे पर बिन्दु वार चर्चा एवं सभी की सहमति से निर्णय लेना।
- बैठक के अंत में सचिव द्वारा लिए गए निर्णयों को पढ़कर सुनाना।
- ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लेना।

समर्थन संस्था द्वारा 20 गांवों में किए गये अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार एकल ग्राम नलजल योजना के रखरखाव एवं संचालन का औसत खर्च

नलजल योजना संचालन एवं रखरखाव खर्च विवरण		
क्र.	**खर्च मद**	**वार्षिक खर्च**
1	मोटर पम्प मरम्मत	30000/-
2	स्पेयर पार्ट्स	5000/-
3	पाइपलाइन मरम्मत	10000/-
4	बिजली बिल	100000/-
5	स्टेशनरी एवं अन्य खर्च	2500/-
6	पम्प ऑपरेटर का मानदेय	70000/-
	कुल वार्षिक खर्च	**217500/-**
	औसत मासिक खर्च	**18125/-**

खर्च के आधार पर जलकर का निर्धारण			
क्र.	**स्रोत**	**मासिक जलकर**	**वार्षिक जलकर**
1	उदाहरण स्वरूप किसी गांव में कुल नल कनेक्शन की संख्या 200 है, तो जलकर का निर्धारण इस प्रकार होगा– कुल मासिक खर्च ÷ गांव में कुल नल कनेक्शन = प्रति परिवार अनुमानित मासिक जलकर	18125÷200/- =90.62/- प्रति परिवार	90.62×12 =1087.44/- प्रति परिवार
2	जलकर का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गांव में गरीब परिवारों को जलकर में छूट/रियायत देने एवं कुछ परिवारों के समय पर जलकर नहीं देने से योजना के संचालन में परेशानी आ सकती है, इसलिए गणना से निकली राशि में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि कर जलकर तय करना चाहिए।	100/- प्रति परिवार	1200/- प्रति परिवार
3	200 नल कनेक्शन पर संग्रहित कुल जलकर की राशि	20000/-	240000/-
	आय – खर्च = आकस्मिक जरूरत के लिए शेष राशि	**1875/-**	**22500/-**

रोल प्ले का समेकन

रोल प्ले पूर्ण होने पर सहभागियों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें -

- क्या ग्राम सभा में लिए गये निर्णयों से आप सहमत हैं?
- क्या एजेंडा में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए गये?
- क्या ग्राम सभा की बैठक प्रक्रिया में किसी बात की अनदेखी हुई?
- कौन से निर्णय आपको बहुत अच्छे लगे?
- क्या और अच्छा हो सकता था?

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर सहभागियों के साथ चर्चा कर रोल-प्ले का सार निकालना और प्रयास करना कि सहभागी मासिक जलकर निर्धारण, योजना संचालन के लिए नियम बनाना और योजना की निगरानी व्यवस्था पर समझ बना पायें।

उप सत्र -2: नलजल योजना के संचालन और रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका

सत्र संचालन

सहभागियों से पूछें कि, आपके हिसाब से नलजल योजना के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिये? सहभागियों के जवाबों को नोट करते जायें और उन्हें इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा सोचने और प्रतिक्रियाएं देने के लिए प्रेरित करें। इसके उपरांत नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर या मैनुअल के अंत में पेज नंबर 52, पर दिये गये क्यू.आर. कोड को स्केन कर पीपीटी के माध्यम से सहभागियों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका से अवगत करायें।

https://docs.google.com/presentation/d/1JyGonwW2PncPhiN4Lad1NoiJo4FTe2Z5/edit#slide=id.p1

नलजल योजना में ग्राम सभा एवं पंचायत कि भूमिकाएं

❖ **ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन :** जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत में शामिल सभी गांवों में अलग-अलग ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन किया जाना है। जिन गांवों की आबादी 250 से कम है, उन गांवों में पास के ग्राम के साथ संयुक्त समिति बनाई जायेगी।

- **ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का बैंक खाता खुलवाना :** किसी राष्ट्रीकृत बैंक में ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से संयुक्त खाता खोला जायेगा, समिति के सभी कार्यों का भुगतान इसी खाते से किया जायेगा।
- **ग्राम कार्य योजना (VAP) निर्माण :** जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलजल योजना का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ग्राम कार्य योजना बनायी जायेगी। जिसमें पानी की टंकी और बोरवेल का स्थान , पाइप लाइन, नल कनेक्शन संख्या आदि की जानकारी सहभागी नियोजन के माध्यम से एकत्र कर ग्राम सभा में अनुमोदन कराने के बाद जिला जल एवं स्वच्छता मिशन / पीएचईडी को भेजी जायेगी।
- **पीएचईडी द्वारा निर्मित डीपीआर को वीएपी के साथ स्वीकृत कराना :** पीएचईडी द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के सहयोग से नल जल योजना की डीपीआर तैयार की जायेगी, जिसे ग्राम कार्य योजना के साथ ही ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जायेगा।
- **जल सुरक्षा योजना (WSP) का निर्माण :** ज्यादातर नलजल योजनाएं भूजल आधारित बनाई जा रही हैं, इसलिए भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल सुरक्षा योजना बनाकर कार्य करना आवश्यक हो गया है। जल सुरक्षा योजना में प्रस्तावित कार्यों को ग्राम पंचायत में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण (कन्वर्जेन्स) कर पूरा कराया जायेगा।
- **जल गुणवत्ता जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही :** जल गुणवत्ता जाँच के लिए ग्राम की 5 महिलाओं का चयन कर पीएचईडी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं फील्ड टेस्टिंग किट (FTK) उपलब्ध करायी जायेगी। इन प्रशिक्षित महिलाओं के द्वारा वर्ष में कम से कम 2 बार (बारिश से पहले और बारिश के बाद) ग्राम के कम से कम 5 सामुदायिक पेयजल स्रोतों की जाँच की जायेगी। जाँच परिणामों को पीएचईडी एवं ग्राम सभा के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- **जनभागीदारी राशि इक्कठा करना :** डीपीआर फाइनल हो जाने पर नलजल योजना की कुल लागत स्पष्ट हो जायेगी, इसके आधार पर गणना कर जल समिति प्रति घर जनभागीदारी या कनेक्शन शुल्क की राशि एकत्र कर सकेगी।
- **नलजल योजना निर्माण की निगरानी एवं फीडबैक :** नलजल योजना निर्माण के दौरान ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एवं पंचायत कि यह जिम्मेदारी होगी कि वह नियमित रूप से कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करती रहे एवं किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने या सुधार की आवश्यकता होने पर उचित कार्यवाही हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन/पीएचईडी के साथ संवाद करे या फीडबैक दे।
- **नलजल योजना का हैंड ओवर लेना :** नलजल योजना योजना तैयार हो जाने और परीक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पीएचईडी/ठेकेदार से हैंडओवर लिया जायेगा। पंचायत को चाहिए कि वह हैंडओवर लेने से पहले सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पूर्णता और सभी घरों तक पूर्ण दबाव के साथ पर्याप्त पानी पहुंचने की जांच के उपरांत ही हैंडओवर ले।
- **संचालन एवं रखरखाव के लिए नियम बनाना :** नलजल योजना के सुचारू संचालन एवं रखरखाव के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से नियमावली बनाना और ग्राम सभा में अनुमोदन कराकर उसे लागू कराना।
- **योजना का रख-रखाव और नियमित जलकर वसूली :** नलजल योजना में होने वाली टूट-फूट की समय पर मरम्मत कराना ताकि ग्रामीणों का योजना पर भरोसा बना रहे और नियमित जलकर वसूली कराना।
- **सामाजिक अंकेक्षण एवं समस्या निवारण तंत्र स्थापित करना :** साल में कम से कम एक बार नलजल योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराकर योजना के आय-व्यय का लेखा-जोखा ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत करना। नलजल योजना से जुड़ी समस्याओं को दर्ज कराने हेतु शिकायत रजिस्टर/पेटी या कोई मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना ताकि लोग अपनी शिकायत सुगमता से दर्ज करा सकें। प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करना।

तीसरा दिन
सत्र 4

सहभागी प्रशिक्षण, वयस्कों के सीखने के सिद्धांत व प्रशिक्षण की रुपरेखा बनाना

समयावधि : 2 घन्टा

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण क्या है? और सहभागी प्रशिक्षण की विधियों पर समझ बनाना।
- वयस्कों के सीखने सिद्धांत – वयस्क कब और कैसे सीखते हैं, अवगत कराना।
- प्रशिक्षण की रूपरेखा कैसे बनायें इस पर समझ बनाना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

सहभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें –

- सहभागी प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण को सहभागी बनाने के लिए क्या तरीके अपनाये जा सकते हैं?
- क्या बच्चों और बड़ों के सीखने की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है ?

सहभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें, और सही जवाबों का दोहराव करें। अब नीचे दी गई जानकारी को बिन्दु वार सहभागियों के साथ साझा करें।

सहभागी प्रशिक्षण

- सहभागी प्रशिक्षण अनुभव आधारित प्रक्रिया है।
- यह दो तरफा प्रक्रिया है।
- यह ज्ञान से अधिक व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित है।

विकास के सन्दर्भ में जब भी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो मुद्दा सिर्फ ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति का दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सामाजिक अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात सहभागी प्रशिक्षण जिसमें पिछड़े वर्ग की विकास में सहभागिता केंद्र में होती है, प्रशिक्षक एक सहजकर्ता की भूमिका निभाता है जिसमें वह सीख और सोच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक और सुरक्षित माहौल का निर्माण करता है।

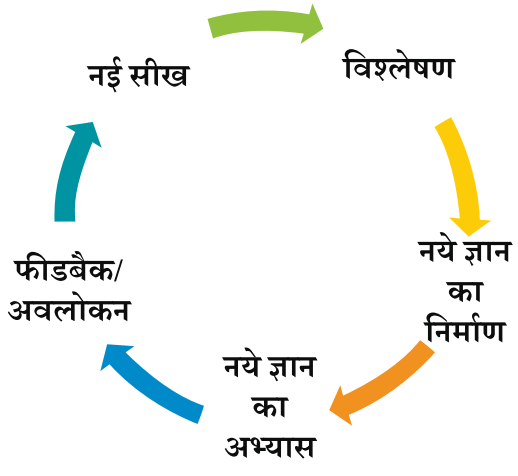

अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सी सहभागी कहलाने वाली पद्धतियां जैसे - रोल प्ले, छोटे समूह में चर्चा इत्यादि करा लेने से प्रशिक्षण सहभागी हो जाता है। वास्तव में यह पद्धतियां नहीं अपितु पद्धतियों के सही इस्तेमाल और वातावरण के सही निर्माण से कोई भी शिक्षण, सहभागी प्रशिक्षण का दर्जा पाता है।

प्रौढ़ कब और कैसे सीखते हैं ?

सहभागी प्रशिक्षण के सन्दर्भ में यह मानकर चलना चाहिये

परम्परागत प्रशिक्षण व सहभागी प्रशिक्षण में अंतर

आमतौर पर होने वाले प्रशिक्षण

- प्रशिक्षक केन्द्रित
- नियंत्रण प्रशिक्षक के हाथ में
- मुख्य फोकस ज्ञानवृद्धि व तकनीकी जानकारी देने पर
- फोकस परफार्मेन्स सुधारने पर
- दक्षता व जानकारी आधारित पद्धतियों का उपयोग
- पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम पर जोर

सहभागी प्रशिक्षण

- सहभागी केन्द्रित
- सीखने वाले नियंत्रण करते हैं
- सीखना जानकारी, जागरूकता व दक्षता के स्तर पर
- व्यवहार में बदलाव पर केन्द्रित
- अनुभव आधारित सीखने की पद्धतियों का उपयोग
- प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धांतों व सीखने का माहौल बनाने पर जोर

कि प्रौढ़ सीख सकते हैं, वह बदल सकते हैं और उनका विकास संभव है। यह सच है कि यह कठिन है खासकर यदि हम इसकी तुलना बच्चों से करें। यह समझना बहुत जरुरी है कि प्रौढ़ों के पास उम्र के साथ दर्ज किया बहुत अनुभव है, अपना दृष्टिकोण है और समाज को देखने की नज़र है। अर्थात वह तभी सीखेंगे जब उनके अनुभव, उनके दृष्टिकोण का आदर किया जाये और सीखने की प्रक्रिया में उनको उचित सम्मान दिया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सीख का केंद्र बिंदु उनकी आवश्यकताओं और रूचि से जुड़ा हो।

डी-ब्रीफिंग तथा संक्षेपण

प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धांत

आमतौर पर होने वाले प्रशिक्षण

- प्रौढ़ों के सीखने के लिए जरुरी है, एक सुरक्षित एवं समझदार सहायक व चुनौतीपूर्ण माहौल का निर्माण।
- प्रौढ़ों सीख के चक्र में तभी जाते हैं जब वह उनकी समस्याओं, उनके सपनों के आधार पर सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। अधिकतर वह "आज और अभी" मिलने वाले परिणामों पर सीख को केन्द्रित कर सकते हैं।
- प्रौढ़ों के अपने और समाज की विभिन्न इकाईयों के बारे में कुछ सोच होती है जो कि उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर बनी होती है। इस सोच और अनुभव को मान्यता देना बहुत आवश्यक है। इनको नकारने से कभी भी नयी सीख नहीं बनायी जा सकती। अनुभवों के नये विशलेषण से सहजकर्ता नये दृष्टिकोण का निर्माण अवश्य कर सकता है।
- दक्षता आधारित प्रशिक्षण अधिक सहभागी परिस्थितियों का निर्माण करता है। ऐसे में प्रौढ़ों को नयी सीख पर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है।
- फीडबेक – अभ्यास की प्रक्रिया में एक सहयोगी "फीडबेक" का माहौल बनाना बहुत आवश्यक होता है। फीडबेक के माध्यम से सीख में सुधार लाया जा सकता है।
- अभ्यास में सफल होने पर प्रौढ़ प्रोत्साहित होते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं।
- प्रौढ़ों के सीखने के अलग-अलग तरीके होते हैं इसलिए कोई एक पद्धति व तकनीक सभी के लिए बराबरी से लाभकारी नहीं होती। इस प्रकार बहुत सारी सीखने की पद्धतियों का इस्तेमाल करना जरुरी हो जाता है।
- सिखाने की प्रक्रिया में बहुत गहरी भावनायें पैदा होती हैं। इन भावनाओं को समझना व निपटाना बहुत आवश्यक होता है अथवा प्रौढ़ इन भावनाओं में उलझ जाते हैं और उनका सीखना प्रभावित होता है।

मुख्यतः अनुभव आधारित प्रशिक्षण पद्धतियों के उपरांत डी-ब्रीफिंग बहुत आवश्यक होती है।

डी-ब्रीफिंग चक्र के मुख्य घटक हैं -

- अनुभव करना।
- अनुभव के आधार पर अभ्यास करना।
- किये गये अभ्यास को सभी सहभागियों के साथ बांटना एवं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना।
- अभ्यास का विशलेषण करना अर्थात ऐसे प्रश्न उठाना: क्या ऐसा होता है? आप कैसा महसूस कर रहे थे? तथा ऐसा क्यों होता है? इत्यादि।
- अनुभवों और अभ्यास के विशलेषण के आधार पर एक ढांचाबद्ध सीख और सिद्धातों का निर्माण करना।
- सीख के आधार पर नये प्रयोग करना, और फिर से अनुभव कर उस चक्र में जाना।

सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अर्थात प्रशिक्षण के आधार पर ज्ञान व परिवर्तित व्यवहार के निर्माण के लिए, सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह सीखने वालों की क्षमता खासतौर से विश्लेषण क्षमता और नयी सीख के लिए तैयारी बनाने की एक चुनौतीपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वह एक समय में अनेक भूमिकाओं को निभाता है और प्रशिक्षणार्थियों को हमेशा सीखने के लिए अग्रसर करता है। प्रशिक्षण की मुख्य जवाबदारियां निम्न हैं -

1. प्रशिक्षण नियोजक व डिजाइनर की भूमिका
2. प्रशिक्षण प्रबंधक की भूमिका
3. सहजकर्ता की भूमिका
4. शिक्षक व नयी जानकारी प्रदर्शित करने की भूमिका
5. मित्र की भूमिका
6. स्वयं को एक प्रशिक्षार्थी के रूप में देखने की भूमिका

प्रशिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और प्रशिक्षक इस जटिल प्रक्रिया को संचालित करता है। इसके लिए वह स्थितियों का विश्लेषण

करता है, लोक ज्ञान को प्रत्यक्ष होने के वातावरण का निर्माण करता है। प्रशिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करता है, यह क्षमतायें उसकी ज्ञान, जागरूकता और दक्षता के आधार पर बांटी जा सकती हैं। प्रशिक्षक की भूमिका प्रशिक्षण के पहले से ही शुरू हो जाती है व प्रशिक्षण समाप्ति के बाद तक चलती हैं।

प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने के अभ्यास हेतु गृह कार्य

प्रशिक्षण के चौथे और अंतिम दिन सहभागियों को प्रशिक्षक के रूप में सत्रों को आयोजित करने का अभ्यास कराया जायेगा। इसके लिए तीसरे दिन के अंतिम सत्र के बाद सहभागियों को 4 समूहों में बांटें और प्रत्येक समूह को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह 1 : वीएपी निर्माण पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना।

समूह 2: ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना।

समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

समूह 4: नलजल योजना के संचालन एवं रखरखाव पर पंप ऑपरेटरों/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देना।

प्रत्येक समूह इसे गृह कार्य के रूप में स्वीकार्य करेगा और दिये गए विषयों पर 45-45 मिनिट के प्रशिक्षण सत्र की डिजायन एवं विषय वस्तु तैयार करेगा। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में प्रशिक्षक समूहों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

01
पहला दिन

02
दूसरा दिन

03
तीसरा दिन

04
चौथा दिन

चौथा दिन सत्र 2

प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

समयावधि : 2 घन्टा

सत्र के उद्देश्य

- सहभागियों में प्रशिक्षण कौशल विकसित करना।
- प्रशिक्षण सत्रों को सहभागी और प्रभावी बनाने के तरीकों पर समझ बनाना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, अन्य सामग्री जो सहभागी जरूरी समझें।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र का संचालन एक दिन पहले बनाये गये समूह-1 और समूह-2 द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक समूह को 45 मिनिट प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और 15 मिनिट फीडबैक के लिए सुरक्षित रखें। अर्थात एक समूह को कुल 1 घन्टे का समय दिया जायेगा।

प्रत्येक समूह को प्रशिक्षण सत्र के आयोजन में निम्न बातों का ध्यान रखने के लिए कहें –

- समयावधि में सत्र को पूरा करना।
- समूह के सभी सहभागियों को अवसर देना।
- प्रशिक्षण सत्रों को रोचक बनाने के लिए गतिविधियां शामिल करना।
- अन्य समूहों के सहभागियों के द्वारा दिये गये फीडबैकों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना।
- प्रशिक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना कि सभी सहभागी उनकी बात सुन और समझ रहे हैं।

प्रत्येक समूह द्वारा प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर अन्य सहभागी और प्रशिक्षक अपना फीडबैक देंगे और समूह की अच्छी बातों, प्रयासों की सराहना करेंगे तथा जो कमियां हों उन्हें दूर करने के लिए सकारात्मक तरीके से सुझाव देंगे।

चौथा दिन सत्र 3

प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

समयावधि : .....

इस सत्र के संचालन की प्रक्रिया उपरोक्त सत्र के समान रहेगी। इसमें समूह-3 और समूह-4 के सहभागी प्रशिक्षक के रूप में सत्र का आयोजन करेंगे। सत्र की अन्य प्रक्रिया उपरोक्त सत्र के समान होगी।

चौथा दिन
सत्र 4

प्रशिक्षक की भूमिकाएं, कौशल व प्रशिक्षण सत्रों को सहज बनाने के सिद्धांत

समयावधि : 1 घन्टा

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों की भूमिका और कौशल से अवगत कराना।
- प्रशिक्षण को सहज बनाने के तरीकों से अवगत कराना।

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

सहभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें –

- एक अच्छे प्रशिक्षक के क्या गुण होते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है?

सहभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें, और सही जवाबों का दोहराव करें। अब नीचे दी गई जानकारी को बिन्दु वार सहभागियों के साथ साझा करें।

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षक की भूमिकाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है-

1. प्रशिक्षण से पहले : प्रशिक्षण की तैयारी
2. प्रशिक्षण के दौरान : सहजकर्ता, शिक्षक, मित्र के रूप में
3. प्रशिक्षण के बाद : फीडबैक, रिपोर्टिंग, फालोअप

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण डिजाइनर और नियोजक

- सीख के बिन्दुओं को प्रेषित करना और उसके आधार पर प्रशिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण की योजना एवं रणनीति बनाना।
- प्रशिक्षण की विषय वस्तु तैयार करना तथा उनको एक नियोजित तरीके से क्रमबद्ध कर उपयुक्त विधि का चयन करना।
- आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति का चयन करना।
- प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

प्रबंधक

- प्रशिक्षण से जुड़ी जिम्मेदारियों का बंटवारा
- वित्तीय प्रबंधन
- तारीख और स्थान के चयन के साथ-साथ अन्य भौतिक संसाधनों की तैयारी।
- प्रशिक्षण स्थल पर सुविधाओं का अवलोकन करना।
- सभी सुविधाओं का आपस में संबंध स्थापित करना।
- प्रशिक्षण के बाद भी प्रशिक्षार्थियों के साथ संपर्क रखना तथा उनको रिपोर्ट आदि भेजना।
- आपात स्थिति जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि से निपटना।

सहजकर्ता

- समूह प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना व नियंत्रण रखना।
- समूह व समूह के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित और प्रेरित करना।
- सीखने के वातावरण का निर्माण करना।
- समूह चर्चाओं को आरंभ करना व केन्द्रित करना।
- प्रशिक्षार्थियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर सकें।

शिक्षक

- नयी जानकारियां तथा तथ्यों को समझाना।
- जानकारी व अनुभवों के आधार पर नया आधार बनाना।
- सीख की प्रक्रिया को ढांचाबद्ध तरीकों से बांधना।
- विभिन्न पद्धतियां जैसे रोल प्ले, चर्चा, सिमुलेशन, इत्यादि को सम्पादित करना।
- प्रशिक्षण के नये-नये संसाधनों जैसे वीडियो कैमरा, टेप, फ्लेश कार्ड इत्यादि का सही तरीके से इस्तेमाल करना।

सहभागी

- प्रशिक्षार्थियों से बराबर संपर्क में रहना।
- उनके विचारों, कठनाईयों, खुशी एवं निराशाओं में उनकी मदद करना।
- अपने अनुभवों को उनमें बांटना।
- मित्रतापूर्ण व्यवहार से वातावरण को सहज बनाना।

प्रशिक्षार्थी

- समूह के अनुभव के आधार पर स्वयं के सीखने की तैयारी रखना।
- दूसरों के दृष्टिकोण और सोच को समझना।
- दूसरों के अनुभव से सीखना।
- समूह के द्वारा बनाये गये सीखने के ढांचों को ग्रहण करना।

प्रशिक्षकों में कौशल

1. प्रशिक्षकों में ट्रिपल "AAA" गुण होने चाहिए :

- A - आवाज (अच्छी आवाज के साथ स्पष्ट और प्रभावी संचार)
- A - अंदाज़ (अच्छी प्रस्तुतिकरण शैली और शारीरिक हाव-भाव/बॉडी लैंग्वेज)
- A - आगाज़ (सत्र की बढ़िया और प्रभावी शुरुआत)

2. किसी भी विषय पर प्रशिक्षण देने से पहले प्रशिक्षकों के पास तीन बुनियादी क्षमताएं होनी चाहिए – केवीसी (KVC)

☞ **K - जिस विषय पर प्रशिक्षण देना है उसका ज्ञान**

☞ **V - मूल्य**

- नैतिक मूल्य; व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल्यों को परिभाषित करते हैं।
- ईमानदार
- सकारात्मक दृष्टिकोण
- अच्छा स्रोता
- अनुशासित और केन्द्रित (फोकस्ड)
- प्रभावी समय प्रबंधक

- नियमबद्ध
- आपत्तियों/प्रतिक्रियाओं का समाधान करना जानता हो
- प्रभावी संवाद : मौखिक और लिखित
- मजबूत इरादा
- बदलने/अपग्रेड करने की इच्छा शक्ति
- फालोअप में प्रभावी
- प्रतिबद्धताओं और डिलिवरेबल्स का सम्मान

☞ **C - संचार कौशल - संचार किसी भी प्रशिक्षण का बुनियादी मूल्य है। इसमें बोली जाने वाली, लिखकर बतायी जाने वाली, सक्रिय रूप से सुनने और समझने की संचार कौशल शामिल है। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब उस व्यक्ति पर ध्यान देना, जो आपसे बात कर रहा है।**

- अपनी संचार शैली को सहभागियों के अनुकूल बनाना।
- मित्रता/दोस्ताना
- आत्मविश्वास
- फीडबैक देना और प्राप्त करना।
- संचार की मात्रा और स्पष्टता
- सहानुभूति
- आदर/सम्मान

केवीसी - प्रशिक्षकों में संतुलित अनुपात में होना चाहिए। यदि प्रशिक्षक के पास K, V, C में से कोई एक भी अधिक या कम है तो वह प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं होगा।

फैसीलिटेशन या सहजीकरण क्या है ?

सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक ज्ञान/कौशल को सहभागियों के ऊपर थोपता नहीं है बल्कि उनके अनुभवसिद्ध ज्ञान को मान्यता देते हुए उन्हें सीखने की प्रक्रिया से जोड़ता है और उनके अनुभवों से नये ज्ञान का सृजन करता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षक की भूमिका मात्र फैसीलिटेटर (सहजकर्ता) की होती है। यदि हम फैसीलिटेशन को सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो - वह कार्य जिसमें बगैर किसी बाधा के कार्य को आसान बनाया जा सके फैसीलिटेशन कहलाता है।

फैसीलिटेशन दो स्तर पर होता है :

- पहला - व्यक्ति के स्तर पर
- दूसरा - समूह के स्तर पर

फैसीलिटेशन हेतु ध्यान में रखने वाली बातें :

फैसीलिटेशन के लिए यह आवश्यक है कि फैसीलिटेटर को समूह की प्रक्रियाओं तथा सहभागियों की परफॉरमेन्स में आ रही बाधाओं/कठिनाईयों की जानकारी हो। इसके लिए निम्नांकित प्रयास किये जा सकते हैं

- **व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत करें -**
  - व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत के दौरान भयमुक्त वातावरण का निर्माण करें तथा बात-चीत में खुलापन हो, पद असमानता या सहभागियों के बीच अन्य असमानता को बाधा न बनने दें।

- कठिनाईयों पर सीधे बात-चीत न करें एवं प्रशंसात्मक लहजे में बात-चीत करें नहीं तो व्यक्ति डिफेन्सिव (बचाव) हो जायेगा और अपनी कठिनाईयों को छुपाने का प्रयास करेगा।
- फील्ड के अवलोकन/उदहारण का संदर्भ बात-चीत के दौरान दें।
- खुले प्रश्न पूछें।
- अपनी कठिनाईयों को बताने हेतु सहभागियों को प्रोत्साहित करें।

3. दृष्टिकोण और प्रशिक्षण के तरीके

प्रशिक्षक को सहभागियों के ज्ञान स्तर, कौशल और दृष्टिकोण के अनुसार प्रशिक्षण के तरीकों को अपनाना चाहिए। उदहारण के लिए–

1. यदि सहभागियों को विषय का ज्ञान ना हो या कम ज्ञान हो तो व्याख्यान दृष्टिकोण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
   - व्याख्यान पद्धति का उपयोग सहभागियों को नई जानकारी एवं अवधारणाएं देते समय करते हैं।
   - इस पद्धति द्वारा बहुत सारी विषय-वस्तु कम समय में बतायी जा सकती है।
   - बाहरी रिसोर्स पर्सन द्वारा कुछ विशिष्ट विषयों पर समझ बनाने के लिए भी इसे उपयोग किया जाता है।
2. यदि सहभागियों को विषय का ज्ञान है तो समूह चर्चा दृष्टिकोण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
   - जब विषय वस्तु पर सहभागियों के पूर्व के अनुभव हों।
   - चर्चा में वे अपने अनुभव, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति के आधार पर नये ज्ञान का सृजन करते हैं।

अनुलग्नलक

अनुलग्नलक 01

केस स्टडी – ग्राम वंशीपुर में पानी की स्थिति

ग्राम वंशीपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव में 5 बसाहटें हैं जिनमें कुल 260 परिवार रहते हैं। गांव की कुल आबादी लगभग 1500 के आसपास है। वंशीपुर कृषि प्रधान गांव है, यहाँ लगभग 80% परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं दूध डेयरी का काम करते हैं। 20% प्रतिशत परिवार मजदूरी एवं निजी व्यवसाय और सेवा कार्यों से जुड़े हैं। गांव में 3 स्कूल, 2 आंगनवाड़ी केन्द्र, 1 पंचायत भवन स्थापित है।

गांव की सामान्य जानकारी

गांव में कुल 5 बसाहटें हैं, जो एक दूसरे से आधा-पौन किमी की दूरी पर स्थित हैं। लेकिन तीसरी बसाहट जिसमें 20 दलित परिवार रहते हैं, गांव की मुख्य बसाहट से अधिक दूर है। दूसरी बसाहट जिसमें करीब 40 परिवार रहते हैं, ऊंचाई पर होने के कारण यहां अधिकतर समय पानी की कमी बनी रहती है।

गांव में पानी की आवश्यकतायें

गांव में पानी की खपत मुख्यत: खेती, पशुपालन तथा घरेलू उपयोग में होती है। गांव में लगभग 2200 एकड़ में खेती होती है। जिसमें से 1600 एकड़ भूमि सिंचित है और 600 एकड़ असिंचित है। खरीफ सीजन में मुख्य रूप से सोयाबीन और रबी सीजन में गेहूं एवं चने (800 एकड़ में गेहूं और 800 एकड़ में चना) की फसल लगाते हैं। गर्मी के मौसम में पानी की कमी होने से कोई फसल नहीं लगायी जाती।

गांव की दो बसाहटें जो गांव के केन्द्र में स्थित हैं यहां बड़ी संख्या में पशुपालन होता है। गांव में कुल गाय, बैल, भैंस की संख्या 460 है और छोटे पशु 260 (भेड,बकरी -160 और मुर्गी आदि – 100) हैं। ज्यादातर गाय-भैंस गांव के समृद्ध परिवारों के पास हैं। बकरी व मुर्गी अधिकतर दलित और आदिवासी परिवारों के द्वारा पाली जाती हैं।

गांव में अब तक की पानी की व्यवस्था

गांव में औसतन 700 मिमी बारिश होती है। गांव में 10 साल पुरानी एक नलजल योजना है, जो पिछले चार सालों से लगभग बंद है। जल स्रोतों में पानी की कमी के कारण गर्मी में 3-4 माह या नलजल योजना लगभग बन्द ही रहती है। योजना लगने के 2-3 साल बाद ही पाइपलाइन में टूट-फूट होने लगी और मरम्मत की जरूरत पड़ने लगी। पिछले 8 सालों में पंचायत द्वारा 3-4 बार मोटर की मरम्मत भी करायी गई। लेकिन पंचायत भी अब बार-बार मरम्त कराने में असमर्थ है। एक तरह से नलजल योजना अब बन्द पड़ी है। इस बंद पड़ी योजना को इसी वर्ष रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत लिया गया है। दस साल पहले जब यह योजना शुरू हुई थी तो पहली दो बसाहटों में पर्याप्त पानी मिल जाता था।

नलजल योजना के रेट्रोफिटिंग का काम 4 माह पहले शुरु हुआ है। जिसके तहत एक लाख लीटर की नई टंकी बनाई गई है। टंकी को भरने के लिए दो नए बोरवेल (एक 800 फिट गहरा एवं दूसरा 1000 फिट गहरा) भी बनाये गए है। टंकी से पाइपलाइन बिछाकर घर-घर नल कनेक्शन दिए गए है। लेकिन तीसरी बसाहट जिसमें 20 परिवार हैं, नलजल कनेक्शन से छूट गई है। पम्प आपरेटर मोटर चलाकर पानी की टंकी को भरता है। कई बार पीछे के मोहल्लों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता, ऊपर का मोहल्ला जिसमें 40 परिवार रहते हैं वहां के नलों में तो कभी-कभार ही पानी आता है। जिसकी शिकायत मोहल्ला वासी सरपंच से अक्सर करते रहते हैं। पहले की दो बसाहटें इस व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आया पानी की कमी होने लगी, अब पानी बहुत कम समय के लिए आता है,

मोटर को रूक-रूक कर कई बार चलाना पड़ता है। पंचायत एवं समुदाय सभी चितिंत है कि पानी की उपलब्धता को कैसे बढाया जाये। वर्तमान में 2 सार्वजनिक कुआं और 2 हैंडपम्प पूरे गांव की पानी की जरूरत पूरी कर रहे है।

गांव में 2 तालाब हैं, जो पहली और पांचवी बसाहट में हैं। तालाबों की औसत लम्बाई 10 मीटर और औसत चौड़ाई 12 मीटर तथा औसत ऊंचाई/गहराई 3 मीटर है। पांचवी बसाहट वाले तालाब की पाल (तटबंध) टूट गयी है एवं उसकी मरम्मत की जरूरत है उसके अंदर मिटटी और गाद भर गयी है, जिससे तालाब में कम पानी ठहरता है। इसके अलावा तालाब में पानी आने के रास्ते में सड़क, नये मकान बन जाने से पूरा पानी तालाब में नहीं आ पाता और यह पानी बसाहटों में भर जाता है। दूसरा तालाब गांव के अंदरूनी भाग में पहली बसाहट में है, इस तालाब का उपयोग अधिकतर निस्तार और पशुओं को पानी पिलाने के लिए होता है लेकिन गर्मी के समय यह भी सूख जाता है।

गांव में 4 सार्वजनिक और 14 निजी कुंए हैं, इनमें से तालाब के पास वाले 2 कुओं में साल भर पानी रहता है जो लगभग आधे गांव की पानी की जरूरत पूरी करते हैं। कुओं की औसत त्रिज्या 2 मीटर और औसत गहराई 12 मीटर है। लेकिन नलजल योजना के आ जाने से इन कुओं का उपयोग बंद कर दिया गया और इनमें लोग कचरा फेंकने लगे। एक कुंआ पंचायत के ठीक सामने गांव के बीचों बीच स्थित है, आज से तीन साल पहले तक इसमें साल भर पर्याप्त पानी रहता था लेकिन अब कुंए के ऊपर का चबूतरा टूट गया है और अन्दर गाद जमा होने से पानी कम जमा हो पाता है और इसमें भी लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। कुंए को सुधारकर साफ पानी देने योग्य बनाये जाने की संभावना है। गांव वालों का सुझाव है कि इस कुंए की मरम्मत हो जाये तो गर्मी के दिनों में पानी के लिए उपयोगी हो सकता है। चौथा कुंआ गांव से गुजरने वाले बरसाती नाले पर स्थित डेम जिसकी लम्बाई 600 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, उसके पास स्थित है, इसमें भी साल भर पानी रहता है। इसी कुंए के पानी से पंचायत गर्मियों में टैंकर के माध्यम से गांव में पानी का इंतजाम करती है। लेकिन इस कुंए से भी पूरे गांव को जल आपूर्ति कर पाना संभव नहीं है।

गांव में मौजूद 21 हैंडपम्पों में से 4-5 हैंडपम्प सूखे एवं टूटे पड़े हैं जिनका बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। बाकी 16-17 हैंडपम्पों में से सिर्फ 2 हैंडपम्प ऐसे हैं जिनसे 12 माह पानी मिलता है। बकाया हैंडपम्प साल में 6 से 8 महीने ही पानी देते है। स्कूल और आंगनवाडी वाले हैंडपम्प के आसपास कभी किसी योजना के तहत सोख्ता गड्ढा बनाया गया था वह पूरी तरह भर चुका है एवं टूट भी गया है। ऊपर की छोटी बसाहट जिसमें 20 परिवार रहते हैं वहां 2 हैंडपम्प हैं। इनमें से एक हैंडपम्प में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से पीएचई विभाग ने बन्द करा दिया है, दूसरे हैंडपम्प से 6-8 महीने ही पानी मिलता है, जिससे यहां के लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है।

2018 में किसी संस्था के द्वारा स्कूल एवं आंगनवाडी में वर्षा जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी गई थी, इसके बाद स्कूल के हैंडपम्प में गर्मी के दो महीने छोड़कर पूरे साल पानी उपलब्ध रहने लगा। स्कूल के हेड-मास्टर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह छत पर बनाये गये रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना की मरम्मत और निगरानी पर ध्यान देते हैं इसलिए स्कूल की व्यवस्था चल रही है और वहां का हैंडपम्प भी रिचार्ज होकर लगभग 10 माह पानी दे रहा है।

अनुलग्नलक 02

जल सुरक्षा योजना

किसी गांव में पेयजल, खेती में सिंचाई और अन्य उपयोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाने वाली जल भंडारण संरचनाओं, उनकी सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिए तैयार की जाने वाली योजना को जल सुरक्षा योजना कहा जाता है। इस योजना में मौजूदा जल स्रोतों में उपलब्ध जल को सुरक्षित रखने एवं वर्ष भर के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी गतिविधियों का लेखा-जोखा होता है।

जल सुरक्षा योजना बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमने अनुलग्नक-1 में दी गई ग्राम वंशीपुर की केस स्टडी का उपयोग किया है। अर्थात इस प्रक्रिया में जो भी आंकड़े लिये जायेंगे वो वंशीपुर गांव की केस स्टडी पर आधारित होंगे।

जल सुरक्षा योजना के तीन प्रमुख घटक हैं -

1. गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना।
2. गांव में जल की उपलब्धता की गणना।
3. आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतर का आंकलन कर, अंतर को कम करने के लिए जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की गतिविधियां तय करना।

1. गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना

गांव में मुख्यतः तीन गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है - घरेलु उपयोग, पशुधन के लिए एवं कृषि कार्य के लिए। वंशीपुर गांव की केस स्टडी में दी गई गांव की कुल जनसंख्या, प्रजाति वार पशुओं की संख्या एवं फसल वार खेती के रकबे का उपयोग कर गांव में पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना इस प्रकार करें -

घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना –

एक अनुमान के मुताबिक प्रति व्यक्ति विभिन्न उपयोग के लिए एक दिन में कम से कम 55 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र	जनसंख्या	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता (लीटर)	गांव की कुल जनसंख्या हेतु पानी की वार्षिक आवश्यकता(1500x55x365=)	टिपण्णी
1	2	3	4	5
1	1500	55	3,01,12,500	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आवश्यकता आंकलित है।

गांव की कुल जनसंख्या (1500) X 55 X 365 = 3,01,12,500

वंशीपुर गांव में कुल 1500 लोग रहते हैं। पहले 1500 को 55 से गुणा करें (1500 X 55) जिससे गांव में एक दिन में घरेलू उपयोग के लिए कितने जल की आवश्यकता है निकल जाएगी (82,500 लीटर)। वार्षिक जरुरत निकालने के लिए इसे (82,500) को 365 (1 वर्ष में कुल दिन) से गुणा करें (82500 X 365) जिससे गांव में घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता निकल जाएगी (3,01,12,500)।

पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना -

विभिन्न प्रकार के पशुओं को प्रतिदिन अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बड़े पशुओं (गाय / बैल / भैंस) को प्रतिदिन 70 लीटर, छोटे पशुओं (भेड़ / बकरी) को प्रतिदिन 20 लीटर एवं मुर्गा / मुर्गी को प्रतिदिन लगभग 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गांव में पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें –

क्र	पशुधन का प्रकार	कुल संख्या	पानी की आवयश्कता प्रतिदिन प्रति पशु (लीटर)	पशुओं के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता (3x4x365)
1	2	3	4	5
1	बड़े पशु (गाय/बैल/भैंस)	450	70	1,14,97,500 लीटर
2	छोटे पशु (भेड़ / बकरी)	160	20	11,68,000 लीटर
3	मुर्गा / मुर्गी	100	02	73,000 लीटर
	पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता			**1,27,38,500 लीटर**

(नोट – पशुधन की संख्या वंशीपुर ग्राम (केस स्टडी) की ली गई है।)

पशु की संख्या X (70/20/2 लीटर- पशु के प्रकार के हिसाब से) X 365 = 1,27,38,500 लीटर

वंशीपुर ग्राम में पशुधन के लिए वार्षिक पानी की आवश्यकता :

बड़े पशुओं के लिए - बड़े पशु (गाय/ बैल/ भैंस) की संख्या (450) X 70 X 365 = 1,14,97,500 लीटर

छोटे पशुओं के लिए - छोटे पशु (भेड़ / बकरी) की संख्या (160) X 20 X 365 = 11,68,000 लीटर

मुर्गा / मुर्गी के लिए - मुर्गा / मुर्गी की संख्या (100) X 2 X 365 = 73,000 लीटर

(उपरोक्त तीनों प्रकार के पशुओं के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता को जोड़ने पर पशुधन के लिए पानी कुल आवश्यकता निकल जाएगी - 1,14,97,500 + 11,68,000 +73,000 = 1,27,38,500 लीटर)

कृषि के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना :

अलग-अलग फसलों को प्रति एकड़ अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ के लिए लगभग 8 लाख लीटर प्रति एकड़ एवं चना के लिए 3 लाख लीटर प्रति एकड़ पानी की आवश्यकता होती है। गांव में कृषि के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें –

क्र	फसल की किस्म (रबी)	बोया जाने वाला कुल रकबा (एकड़)	सिंचाई हेतु कुल पानी की दर (लीटर प्रति एकड़)	कुल पानी की आवश्यकता (लीटर) (3x4)
1	2	3	4	5
1	गेहूँ	800	8,00,000	64,00,00,000 लीटर
2	चने	800	3,00,000	24,00,00,000 लीटर
	कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी			**88,00,00,000 लीटर**

(नोट – गेहू एवं चना का रकबा वंशीपुर ग्राम की केस स्टडी से लिया गया है।

फसल का रकबा X 8 लाख/ 3 लाख (फसल के प्रकार अनुसार) = 88 करोड़ लीटर

गेहूँ के लिए - फसल का रकबा (800 एकड़) × 8,00,000 = 64,00,00,000

चने के लिए - फसल का रकबा (800 एकड़) × 3,00,000 = 24,00,00,000

(ऊपर के दोनों फसलों को जोड़ने से कृषि के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकल जाएगी -64,00,00,000 + 24,00,00,000 = 88,00,00,000 लीटर)

घरेलू उपयोग, पशुधन एवं कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को जोड़ने से गांव की कुल पानी की आवश्यकता निकल जाएगी **(3,01,12,500 + 1,27,38,500 + 88,00,00,000 = 92,28,51,000)**।

क्र	पानी की आवयश्कता प्रतिदिन प्रति पशु (लीटर)	पशुओं के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता (3x4x365)
1	2	3
1	बड़े पशु (गाय/बैल/भैंस)	450
2	छोटे पशु (भेड़ / बकरी)	160
3	मुर्गा / मुर्गी	100
पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता		**1,27,38,500 लीटर**

वंशीपुर गांव को पूरे साल में लगभग 92 करोड़ 28 लाख 51 हजार लीटर पानी की आवश्यकता है।

2. गांव में जल की उपलब्धता की गणना

वंशीपुर गांव में पानी की उपलब्धता

वंशीपुर गांव में मुख्यत: दो स्रोतों से पानी प्राप्त होता है, पहला वर्षा जल एवं दूसरा गांव में मौजूद सतही जल भंडारण संरचनायें जिनकी जानकारी केस स्टडी में दी गई है। केस स्टडी को पढ़ें और उसमें से गांव का कुल रकबा, औसत वर्षा एवं सभी जल भंडारण संरचनाओं की संख्या, लम्बाई, चौड़ाई / त्रिज्या, गहराई और ऊंचाई की जानकारी निकालें।

गांव में वर्षा से उपलब्ध जल की गणना

बरसात मे गिरने वाला पानी, जल का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन औसत वर्षा जल का मात्र 6% जल ही जमीन के अंदर जा पाता है (मिट्टी के प्रकार अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है)। गांव में वर्षा से उपलब्ध पानी की गणना निम्न प्रकार से करें –

गांव का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) X औसत वर्षा (घन मीटर) X (6 /100) X 1000 = 37,39,42,800 लीटर

(क्षेत्रफल को एकड़ से मीटर में बदलने के लिए एकड़ में 4047 से गुणा कर दें। वंशीपुर गांव का रकबा 2200 X 4047 = 89,03,400 वर्ग मीटर)

क्र	विवरण	गांव में औसत वर्षा (मीटर)	जमीन में जाने वाला पानी	वर्षा से उपलब्ध पानी (लीटर) (3x4x5)x1000
1	2	3	4	5
1	वर्षा से उपलब्ध पानी	89,03,400	0.70.6	37,39,42,800
कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी				**88,00,00,000 लीटर**

(नोट – यहाँ वर्षा जल की गणना वंशीपुर (केस स्टडी) के हिसाब से की गई है, आप अपने जिले की औसत वर्षा ले सकते है। वर्षा जल का कितना प्रतिशत पानी गांव में रह पाता है, यह भूमि की संरचना पर निर्भर करता है।)

वंशीपुर ग्राम का रकबा 89,03,400 वर्ग मीटर है, इसमें हम गांव की औसत वर्षा (0.7) का गुणा करेंगे फिर उत्तर को 0.06 से गुणा करेंगे तो हमें वर्षा से प्राप्त जल घन मीटर में मिल जायेगा। वर्षा से प्राप्त जल को लीटर में ज्ञात करने के लिए हम उत्तर को 1000 से गुणा करेंगे।

(8903400 × 0.7 × 0.06 × 1000 = 37,39,42,800 लीटर)

ग्राम के समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना

गांव में मुख्यत: दो प्रकार की संरचना होती है - गोल (कुआँ) एवं चौकोर (तालाब / डैम इत्यादि) इनकी जल भण्डारण क्षमता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है–

क्र	स्रोत का प्रकार	संख्या	साइज	कुल भण्डारण क्षमता (लीटर) (3*4*1000)
1	2	3	4	5
1	कुंआ	18	3.14 × (कुंए का त्रिज्या × कुँए का त्रिज्या) × कुँए की गहराई (मीटर में)	27,12,960
2	तालाब	2	लम्बाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मीटर में)	7,20,000
3	डेम	1	लम्बाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मीटर में)	60,00,000
ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी				94,32,960

(नोट – गणना को सरल रखने के लिए सभी कुओं / तालाब / डेम की त्रिज्या / लम्बाई/ऊंचाई/चौड़ाई/गहराई एक समान (औसत) ली गई है।)

कुआँ : कुँए की संख्या × 3.14 × (कुँए का त्रिज्या × कुँए का त्रिज्या) × कुँए की गहराई × 1000

वंशीपुर ग्राम में कुल 18 कुंए हैं जिनकी औसत त्रिज्या 2 मीटर है और औसत गहराई 12 मीटर है। गांव में कुल कुओं की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

18 × 3.14 × 2 × 2 × 12 × 1000 = 27,12,960 लीटर

डेम / तालाब : डेम / तालाब की संख्या × लम्बाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मीटर में) × 1000

वंशीपुर ग्राम में कुल 2 तालाब हैं जिनकी औसत लम्बाई 10 मीटर, औसत चौड़ाई 12 मीटर और औसत ऊंचाई 3 मीटर है। गांव में कुल तालाब की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी –

2 × 10 × 12 X 3 × 1000 = 7,20,000 लीटर

वंशीपुर ग्राम में 1 डेम भी है जिसकी लम्बाई 600 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। गांव में डैम की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

1 × 600 × 10 × 1 × 1000 = 60,00,000 लीटर

(ऊपर के विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध पानी को जोड़ कर गांव में समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना की जा सकती है. 27,12,960 +7,20,000 + 60,00,000 = 94,32,960 लीटर)

वर्षा जल एवं ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी को जोड़कर गांव में कुल पानी की उपलब्धता निकल जाएगी (37,39,42,800 + 94,32,960 = 38,33,75,760)।

क्र	पानी की उपलब्धता का प्रकार	गांव में कुल पानी की उपलब्धता (लीटर)
1	वर्षा से उपलब्ध पानी	37,39,42,800
2	ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी	94,39,42,800
गांव में कुल पानी की उपलब्धता		**38,33,75,760**

वंशीपुर ग्राम में पूरे वर्ष में लगभग 38 करोड़ 33 लाख 75 हजार लीटर पानी उपलब्ध है।

3. ग्राम में पानी की उपलब्धता एवं मांग के अनुसार जल सुरक्षा योजना बनाना

इससे पहले हमने गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता एवं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा को ज्ञात करना सीखा। अब हम गांव में जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच अंतर निकालना सीखेंगे। साथ ही विभिन्न जरूरतों के लिए पानी की सालाना आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती है इसके बारे में जानेंगे।

गांव में जल की कुल वार्षिक आवश्यकता तथा उपलब्धता में अंतर

पूर्व में ज्ञात की गई गांव में वार्षिक जल की कुल आवश्यकता में से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा को घटाकर यह अंतर जाना जा सकता है।

गांव की कुल पानी की आवश्यकता (लीटर)	गांव में कुल पानी की उपलब्धता (लीटर)	गांव की कुल जल की वार्षिक आवश्यकता तथा गांव में कुल जल उपलब्धता में अंतर (लीटर)
1	2	3 = (1-2)
92,28,51,000	38,33,75,760	53,94,75,240

गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता (92,28,51,000) - विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा (38,33,75,760) = 53,94,75,240

वंशीपुर गांव में वर्तमान परिस्थिति में प्रतिवर्ष पानी की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच लगभग 53 करोड़ 94 लाख 75 हज़ार लीटर का अंतर है, अर्थात इतना पानी जरूरत से कम है।

पानी की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर को समाप्त करने के लिये या तो हमें मौजूदा जल भंडारण संरचनाओं की क्षमता बढ़ानी होगी या नई संरचनाओं का निर्माण करना होगा, या दोनों ही कार्य करने होंगे। नीचे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है, जिनसे पुरानी जल भंडारण संरचनाओं के नवीनीकरण और नई संरचनाओं के निर्माण हेतु आर्थिक मदद ली जा सकती है।

क्र	संभावित गतिविधियां	योजना का नाम
1	गांव में उपलब्ध क्षतिग्रस्त / निष्क्रिय जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत एवं गहरीकरण	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग
2	नए जल स्रोतों का निर्माण (तालाब, कुआँ, डैम, इत्यादि)	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग / प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
3	वर्षा जल संग्रहण संबंधी संरचनायें	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग
4	खेत तालाब / मेढ़ बंधान	मनरेगा / कृषि विभाग की योजनाएं (बलराम तालाब)
5	बोर रिचार्ज / रिचार्ज शाफ़्ट	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग /अटल भूजल योजना (सीमित जगहों पर)
6	सोख्ता गड्ढा निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन / मनरेगा / 15वां वित्त आयोग
7	कंटूर ट्रेंच	मनरेगा
8	पौधरोपण	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग

ध्यान देने वाली बातें -

- जल सुरक्षा योजना बना लेने और गतिविधियों को चिन्हित कर लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, इसके लिए जो भी गतिविधियां चिन्हित की गई हैं, उन्हें पंचायत के साथ बात कर जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) में जुड़वाना होगा। क्योंकि जब तक गतिविधियां जीपीडीपी में शामिल नहीं होंगी, उनका क्रियान्वयन संभव नहीं है।
- जो भी गतिविधियां निकल कर आती हैं, जरूरी नहीं है कि सभी गतिविधियों के लिए बाहय फंड की आवश्यकता हो, कई गतिविधियां सामुदायिक श्रम दान/ अंशदान और सहयोग से भी पूरी की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी नाले पर बरसात के बाद बोरी बंधान बनाना है ताकि लम्बे समय तक उसमें पानी उपलब्ध रहे तो इस काम को उन लोगों की मदद से पूरा किया जा सकता है जिन्हें इसका लाभ होगा।
- सिर्फ नई संरचनायें बनाने से ग्राम में जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच का अंतर कम नहीं होगा। सभी ग्रामवासियों के द्वारा उपलब्ध जल का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग भी बहुत आवश्यक है।

सत्र संबंधित पीपीटी, वीडियो और संदर्भ सामग्री के लिए नीचे सत्रवार दिये गए क्यू आर कोड को स्केन करें :

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - फिल्म पहला दिन : सत्र-2 (उप-सत्र-1)	**पीपीटी - जल जीवन मिशन के बारे में** पहला दिन ; सत्र-2 (उप-सत्र -2)	**संदर्भ सामग्री** पहला दिन : सत्र-2(उप-सत्र -2)
संदर्भ सामग्री पहला दिन : सत्र-3	**पीपीटी - वीएपी निर्माण** पहला दिन : सत्र - 4	**ग्राम दिया, जिला पन्ना – वीएपी** पहला दिन : सत्र-4
पीपीटी - नलजल योजना डिजाइन दूसरा दिन : सत्र-2	**संदर्भ सामग्री** दूसरा दिन : सत्र-2	**जल सुरक्षा मोबाइल एप डाउनलोड** दूसरा दिन : सत्र-3
पीपीटी - जल सुरक्षा मोबाइल एप दूसरा दिन : सत्र-3	**पीपीटी– जेजेएम में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका** दूसरा दिन : सत्र-4 (उपसत्र-2)	**संदर्भ सामग्री** दूसरा दिन : सत्र- 4 (उपसत्र-2)
पीपीटी - नलजल योजना की निगरानी तीसरा दिन : सत्र-2 (उपसत्र-1)	**जल गुणवत्ता परीक्षण मेनुअल** तीसरा दिन ; सत्र-2 (उपसत्र-1)	**नलजल योजना में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका** तीसरा दिन : सत्र-3 (उपसत्र-2)

मैनुअल की पूर्ण सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने हेतु इस **क्यू आर कोड** को स्कैन करें।

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट

36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल- 462016, मध्यप्रदेश

फोन : 9893563713 | ई-मेल : info@samarthan.org | वेबसाइट : www.samarthan.org